अनुबंध 1.1
(पैरा 1.1 के संदर्भ में)
लेखापरीक्षा की गई इकाईयों तथा उनके कार्यों का विवरण

क्र.सं.	संग्रहालय का नाम	कार्य
1.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा.पु.स.)	भा.पु.स. के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: • पुरातात्विक अवशेषों एवं उत्खननों का सर्वेक्षण; • केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों एवं स्थलों का अनुरक्षण एवं संरक्षण; • पुरालेखीय तथा मुद्राशास्त्रीय संरचनाओं का विकास; • स्थल संग्रहालयों का स्थापन तथा पुनः संगठन; • विदेशों में खोज यात्राएं करना; तथा • पुरातत्व में प्रशिक्षण तथा तकनीकी अध्ययन प्रतिवेदनों का प्रकाशन तथा अनुसंधान कार्य.
2.	राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली (रा.सं.)	राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इस संग्रहालय को 1949 में स्थापित किया गया था तथा यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र का सबसे बड़ा संग्रहालय है। यहाँ 2.06 लाख से अधिक उत्कृष्ट कलाकृतियां तथा प्रागैतिहासिक काल से लेकर 5,000 वर्षों से अधिक के पुरावस्तु थे। संग्रहालय, कला वस्तुओं के अभिग्रहण तथा संरक्षण, प्रदर्शनियों एवं शिक्षा गतिविधियों के आयोजन, भारतीय मूर्तिकला के उत्कृष्ट प्रतिकृतियों का उत्पादन, दृश्य-श्रव्य एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों, संरक्षण की नवीनतम प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय संग्रहालयों तथा अन्य संग्रहालय/संस्थानों के संग्रहालय के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने, कला एवं संस्कृति का प्रकाशन करने के महत्वपूर्ण कार्यों में लगा था। पुरातत्व, शस्त्र एवं कवच, सज्जा, कला, मध्य एशिया, चित्रकारी, पूर्व कोलम्बियन एवं पश्चिमी कला, हस्तलिपि, गहने, नृविज्ञान, मुद्राशास्त्र तथा पुरालेखशास्त्र जैसे पुरातत्व के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 11 संग्रहण विभाग थे, जिन्हें 26 गैलरियों में प्रदर्शित किया गया था।
3.	भारतीय संग्रहालय, कोलकता (भा.सं.)	भा.सं. की स्थापना 1814 में की गई थी तथा यह एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अपनी किस्म का सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना संग्रहालय है। संग्रहालय भारतीय तथा पार भारतीय वस्तुओं, दोनों का एक भण्डार था। इसमें छः वर्ग थे जो सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक शिल्प-तथ्यों की 35 गैलरियों में बंटे थे।

4.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता (वि.मे.हॉ.)	वि.मे.हॉ. को विक्टोरिया मेमोरियल अधिनियम, 1903 के तहत स्थापित किया गया था तथा 1935 में इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में रेखाचित्रों एवं चित्रकारी, सिक्कों एवं पदकों, शस्त्र एवं कवच, पुस्तक एवं हस्तलिपियों आदि का संग्रहण था। इसमें कैमरा आने से पहले वाले दिनों के इतिहास को स्पष्टता से प्रदर्शित किया गया है।
5.	एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता (ए.सो.को.)	एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी तथा 1984 में इसे राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में घोषित किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में चित्रकलाओं, हस्तलिपियों, सिक्कों आदि का बड़ा संग्रहण था। भारत तथा विदेश के विभिन्न भागों के पाठकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा आंगतुकों को सहायता प्रदान करता है।
6.	सलारजंग संग्रहालय, हैदराबाद (स.जं.सं.)	स.जं.सं. को 1951 में स्थापित किया गया था तथा 1961 में इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया था। इसमें लगभग 48000 वस्तुओं, 40528 पुस्तकों तथा 8556 हस्तलिपियों का संग्रहण है। 14607 वस्तुओं तथा सभी पुस्तकों एवं हस्तलिपियों को 38 गैलरियों तथा एक पुस्तकालय के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। संग्रहालय के संग्रहणों के मुख्य भाग को नबाव मीर यूसफ अली खान, आमतौर पर सलारजंग 111 के रूप में जाना जाता है, जो हैदराबाद राज्य के शासकों के उस समय के प्रधान मंत्री, द्वारा उपार्जित किया गया था। इसलिए उनके पश्चात संग्रहालय को उनका नाम दिया गया था।
7.	इलाहबाद संग्रहालय, इलाहबाद (इ.सं.)	इलाहबाद संग्रहालय की स्थापना 1931 में की गयी तथा 1985 में इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया था। इस संग्रहालय में 70121 वस्तुओं का संग्रहण था तथा अपने संग्रहण को प्रदर्शित करने हेतु 18 गैलरियां थीं। संग्रहालय में गुप्त काल तथा आरंभिक मध्यकाल की मूर्तिकला के उत्कृष्ट नमूनों के प्रभावी संग्रहण थे। इनके अतिरिक्त संग्रहालय द्वारा संगठित सेमीनार, प्रदर्शनियां और अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ भी की जाती हैं।
8.	एशियाटिक सोसाइटी, मुंबई (ए.सो.मु.)	रॉयल एशियाटिक समिति की बॉम्बे शाखा की स्थापना, भाषाओं, दार्शनिक प्रणाली, कला तथा प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान में अध्ययन तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ, 1804 में स्थापित बॉम्बे साहित्यिक समिति को ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैण्ड

		की रॉयल एशियाटिक समिति के साथ मिलाकर, 1826 में की गई थी। सोपरा (बौद्ध) अवशेष तथा एक बड़ी रत्न तिजौरी जिसमें कुछ स्वर्ण पुष्पों, भिक्षा कटोरे के टुकडों तथा 11830 प्राचीन सिक्कों सहित आठ अनुपम बौद्ध कांस्य, तांबे, चांदी, रत्न क्रिस्टल एवं सोने के अवशेष की संदूकची शामिल थी, एशियाटिक सोसाइटी, मुंबई के अधिकार में थे।
9.	छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, मुंबई (छ.शि.म.वा.सं.)	पहले प्रिंस ऑफ वेल्स संग्राहलय के नाम से विख्यात, इस संग्रहालय की स्थापना किंग जॉर्ज V के भारत दौरे के दौरान 20वीं सदी के प्रारम्भ में की गई थी। संग्रहालय में प्राचीन इतिहास की 50,000 प्रदर्शनीय वस्तुओं के साथ-साथ, विदेशी वस्तुएं भी हैं। इसमें प्राचीन सिंधू घाटी की शिल्पकृतियां तथा गुप्त काल के अवशेषों के कुछ उत्कृष्ट संग्रहण थे। यह संग्रहालय एक निजी संगठन था परंतु मंत्रालय की योजना 'महानगरों में संग्रहालयों के सुदृढ़ीकरण' के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर चुका था।
10.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, दिल्ली (रा.सं.नि.)	1996 में भारत सरकार ने भारतीय प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा अमूर्त विरासत के उन्नयन, रक्षा तथा संरक्षण करने के कार्य में कॉरपोरेट सेक्टर, गैर सरकारी संगठन, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्रों तथा व्यक्तियों के योगदान तथा आवेदन को समर्थ बनाने की दृष्टि से राष्ट्रीय संस्कृति निधि (रा.सं.नि.) की स्थापना की। राष्ट्रीय संस्कृति निधि को ₹ 19.50 करोड़ की प्रारम्भिक कोर्पस निधि प्रदान की गई थी। राष्ट्रीय संस्कृति निधि को संरक्षित अथवा अन्य प्रकार से स्मारकों के संरक्षण, अनुरक्षण, प्रोत्साहन, रक्षा, बचाव तथा उन्नयन हेतु निधियों का सृजन तथा उपयोग करना था। विरासत संरक्षण परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के अतिरिक्त राष्ट्रीय संस्कृति निधि में दोनों मूर्त तथा अमूर्त विरासत के क्षेत्र में सभी स्तरों पर स्टाफ तथा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। यह पाया गया कि दानकर्ता, रा.सं.नि. तथा कार्यान्वयन अभिकरण के बीच समन्वय की कमी के कारण परियोजनाएं अपरिवर्तनीय रूप से विलम्बित थीं।

11.	राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावस्तु मिशन, दिल्ली (रा.स्मा. एवं पु.मि.)	2003 में प्रधान मंत्री ने, समाविष्ट प्रलेखन तैयार करने तथा एक डाटाबेस सृजित करने हेतु एक मिशन की स्थापना करने की घोषणा की। 2007 में (अनुवर्ती रूप से) राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावस्तुओं मिशन का प्रारम्भ किया गया था। मिशन को प्रकाशित एवं अप्रकाशित संसाधनों तथा पुरावस्तुओं के माध्यम से असंरक्षित विरासत, स्थलों तथा पुरावस्तुओं के दस्तावेज तथा उपयुक्त रूप से डाटाबेस तैयार करने हेतु, पांच वर्षों के लिए स्थापित किया गया था।
12.	राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (रा.स्मा.मि.), दिल्ली तथा सक्षम प्राधिकरण	1958 के प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. अधिनियम को संशोधन करके एक नया प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. (संशोधन एवं वैद्यता) अधिनियम 2010 लागू किया गया था। इस अधिनियम ने वर्जित क्षेत्र (संरक्षित क्षेत्र से 100 मीटर) में मरम्मत एवं नवीकरण करने तथा नियंत्रित क्षेत्र (वर्जित क्षेत्र से 200 मीटर) में मरम्मत एवं नवीकरण हेतु 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' को जारी करने के प्रस्तावों की संवीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण तथा सक्षम प्राधिकरण स्थापित करने हेतु भारत सरकार को प्राधिकृत किया। पहले यह कार्य परिमण्डल कार्यालयों द्वारा पूरा किया जा रहा था। रा.स्मा.प्रा. को सभी केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों हेतु विरासत उप नियम तैयार एवं स्वीकृत करना तथा इन्हें संसद में प्रस्तुत करना भी अपेक्षित था। ये उपनियम संरक्षित स्मारकों पर किसी भी निर्माण, विशेषरूप से राष्ट्रीय महत्व की बड़ी परियोजनाओं के प्रभाव को निर्धारित करने में मदद करेंगे।
13.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधानशाला (रा.सा.स.सं.अ.)	1976 में स्थापित राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधानशाला (रा.सा.स.सं.अ) सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को समर्पित एक वैज्ञानिक संस्थान था। अनुसंधानशाला ने संरक्षण की सामग्रियों तथा पद्धतियों में अनुसंधान संशोधित संरक्षण एवं विकास में प्रशिक्षण प्रदान करती है तथा संरक्षण में ज्ञान का प्रसार करती है, तथा निरोधक संरक्षण के क्षेत्र में कार्यक्रम कार्यान्वित करती है। अनुसंधानशाला ने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संरक्षण तथा सांस्कृतिक सम्पत्ति के विश्लेषणात्मक अध्ययन हेतु पद्धतियों का विकास तथा मानकीकरण भी करती है। अनुसंधानशाला के लक्ष्य तथा उद्देश्य निम्नानुसार थेः • संरक्षण की अच्छी पद्धतियों के विकास हेतु अनुसंधान। • कला एवं पुरातत्व सामग्रियों का तकनीकी अध्ययन।

		• संग्रहालय, पुरातत्व विभागों तथा अन्य संस्थानों को तकनीकी सहायता। • प्रशिक्षण, प्रलेखन, प्रकाशन, अन्तर्राष्ट्रीय संपर्क आदि। 1986 में दक्षिणी क्षेत्र हेतु रा.सा.सं.सं.अ.प्र. का एक क्षेत्रीय केन्द्र नामतः क्षेत्रीय संरक्षण प्रयोगशाला, को मैसूर, कर्नाटक में स्थापित किया गया था। उत्तर-पूर्वी, पश्चिम-पूर्व तथा मध्य भारत में क्षत्रीय केन्द्रों को स्थापित करने की योजना भी प्रक्रिया में थी।

अनुबंध 1.2

(पैरा 1.2.1 के संदर्भ में)

प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. अधिनियम तथा पु.क.स्व. अधिनियम के प्रावधान के विवरण

प्राचीन स्मारक, स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 तथा प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. (संशोधन एवं वैद्यता) अधिनियम 2010

स्मारक की रक्षा हेतु अधिसूचना

- केन्द्र सरकार एक राजपत्रित अधिसूचना जारी करके एक स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। यह कम से कम सौ वर्ष पुराना होना चाहिए।
- केन्द्र सरकार प्रत्येक अधिगृहित स्मारक का अनुरक्षण करेगी।

संरक्षित स्मारक तथा उसके आसपास निर्माण

- संरक्षित क्षेत्र के स्वामी अथवा अधिभोगी सहित कोई भी व्यक्ति, केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना संरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी भी इमारत का निर्माण अथवा खनन, उत्खनन, विस्फोटन अथवा इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर सकेगा।
- कोई भी व्यक्ति निषिद्ध क्षेत्र (संरक्षित क्षेत्र से 100 मीटर) में कोई निर्माण नहीं करेगा तथा वह केवल राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की अनुशंसाओं पर सक्षम प्राधिकरण से अनुमति के पश्चात ही मरम्मत/नवीकरण कर सकता है।
- नियंत्रित क्षेत्र (निषिद्ध क्षेत्र से 200 मीटर) में निर्माण/पुर्ननिर्माण करने हेतु राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की अनुशंसाओं पर सक्षम प्राधिकरण से अनुमति अपेक्षित थी।
- राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की अनुसंशाओं पर केन्द्र सरकार निषिद्ध /नियंत्रित क्षेत्र को बढ़ा सकती है।
- सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के बिना निर्माण दो वर्षों से अधिक तक कारावास अथवा ₹एक लाख तक जुर्माना अथवा दोनों सहित दण्डनीय होगा।
- केन्द्र सरकार, यदि चाहे तो, अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि, स्मारक अथवा पुरातत्व स्थल अथवा अवशेष राष्ट्रीय महत्व के नहीं रहे।

संरक्षित तथा असंरक्षित क्षेत्र में उत्खनन

- महानिदेशक भा.पु.स. से लाईसेंस प्राप्त प्राधिकृत व्यक्ति ही संरक्षित क्षेत्र में उत्खनन का कार्य कर सकते है।

- उत्खनन का कार्य लाईसेंस में नामित निदेशक के पर्यवेक्षण के अंतर्गत किया जाएगा जो कार्यों की कम से कम तीन चौथाई अवधि के लिए स्थल पर उपस्थित होना चाहिए।
- लाइसेंसधारी उत्खनन कार्य की समाप्ति के पश्चात एक संक्षिप्त रिपोर्ट महानिदेशक भा.पु.स. को प्रस्तुत करेगा तथा अगर अवधि तीन महीनों से अधिक है तो तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। महानिदेशक भा.पु.स. इन प्रतिवेदनों को प्रकाशित कराएगा। प्रत्येक लाइसेंसधारी जल्द से जल्द, निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- असंरक्षित क्षेत्र में उत्खनन केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं की जा सकती।
- किसी भी पुरावस्तु को हटाने के लिए लिए महानिदेशक भा.पु.स. से हटाने की प्रस्तावित तिथि से तीन महीने पहले मांग की जानी चाहिए।
- अधिसूचना जारी करने के पश्चात, पुरातात्विक अधिकारी के सिवाय, कोई भी व्यक्ति निषिद्ध क्षेत्र तथा नियंत्रित क्षेत्र में खनन अथवा निर्माण, जैसे कार्य, लाईसेंस के नियम एवं शर्तों के सिवाए, प्रारम्भ नहीं करेगा।

पुरावस्तु तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972

केन्द्र सरकार अधिसूचना के द्वारा पुरावस्तु का विशेष रूप से उल्लेख कर सकती है, जिन्हें पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है। प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे पुरावस्तु का स्वामित्व, नियंत्रण अथवा अधिकार रखते हैं, को पुरावस्तु का पंजीकरण कराना चाहिए तथा एक प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए। ऐसे पुरावस्तुों का अंतरण भी भा.पु.स. को सूचित किया जाना चाहिए।

केन्द्र सरकार, स्वामी को उचित प्रतिपूर्ति अदा करने के पश्चात, किसी भी पुरावस्तु अथवा बहुमूल्य कलाकृति को अधिगृहित कर सकती है।

केन्द्र सरकार किसी भी स्थान में प्रवेश एवं तलाशी तथा किसी भी पुरावस्तु अथवा बहुमूल्य कलाकृति को अधिकार में ले सकती है जिनके संबंध में अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई है।

भा.पु.स. यह घोषित करने हेतु अंतिम प्राधिकारी हैकि कोई भी वस्तु पुरावस्तु है अथवा नहीं।

केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अभिकरण/प्राधिकरण के सिवाए कोई भी व्यक्ति किसी भी पुरावस्तु अथवा बहुमूल्य कलाकृति का निर्यात नहीं कर सकता।

कोई भी व्यक्ति पुरावस्तु को बेचने अथवा बेचने का प्रस्ताव करने का व्यवसाय अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत इस उद्देश्य हेतु जारी लाईसेंस के बिना नहीं कर सकता है।

अनुबंध 1.3

(पैरा 1.3.5 के संदर्भ में)

भौतिक रूप से निरीक्षित स्मारकों के विवरण

क्र.सं.	परिमण्डल का नाम	भौतिक रूप से निरीक्षित स्मारक की सं.
1.	आगरा	61
2.	औरंगाबाद	39
3.	बैंगलूरू	116
4.	भोपाल	111
5.	भवनेश्वर	20
6.	चण्डीगढ़	60
7.	चेन्नई	105
8.	देहरादून	32
9.	दिल्ली	121
10.	धारवाड़	121
11.	गोवा	21
12.	गुवाहाटी	38
13.	हैदराबाद	44
14.	जयपुर	122
15.	कोलकाता	83
16.	लखनऊ	90
17.	मुंबई	27
18.	पटना	125
19.	रायपुर	24
20.	रांची	11
21.	शिमला	14
22.	श्रीनगर	41
23.	त्रिशूर	16
24.	बड़ोदरा	213
योग		**1655**

अनुबंध 2.1

(पैरा 2.5 के संदर्भ में)

लुप्त हुए स्मारकों का विवरण

परिमण्डल का नाम	राज्य का नाम	स्मारकों की संख्या	स्मारकों के नाम
आगरा	उत्तर प्रदेश	7	(i) ओनला रेलवे स्टेशन स्थल, बरेली (ii)मिट्टी के किले में ले. कर्नल जॉन गुथ्री का मकबरा, फर्रूखाबाद (iii) प्राचीन मूर्तियां, नक्काशी, चित्र, स्मृति चिन्ह, शिलालेख, पत्थर और इसी तरह की वस्तुएँ, मथुरा (iv) कटरा टीले का भाग जो कि नजुल पट्टेदारों के अधिकार में नहीं है, जहाँ पर पूर्व में केशव देव मंदिर था, जिसे गिराकर, इस जगह पर औरंगजेब की मस्जिद बनाई गई, मथुरा (v) किला चाँदपुर फोर्ट स्मारक, बिजनौर। (vi) किला रेलवे स्टेशन, हाथरस के निकट स्मारक (vii) प्राचीन ब्रिटिश कब्रगाह, बिजनौर
औरंगाबाद	महाराष्ट्र	5	(i) जोर्वे, अहमदनगर में जरासंघ नगरी (ii) अरसोदा, गढ़चिरोली में पत्थर वृत्त (iii) चमोरशी, गढ़चिरोली में 20 शिला स्मारकों या समाधि-स्थल का समूह (iv) निलदहो में पत्थर वृत्त, (v) तकलघाट, नागपुर में पत्थर वृत्त,
बैंगलुरू	कर्नाटक	3	(i) पूर्व-ऐतिहासिक स्थल, कित्तूर (ii) पूर्व-ऐतिहासिक स्थल, चिक्का-जाला, (iii) पूर्व-ऐतिहासिक स्थल, हेज्जल
भोपाल	मध्यप्रदेश	2	(i) शिलालेख (ii) भित्तिचित्र बछाँव चित्रकला, गहिरा, रीवा
चण्ड़ीगढ़	हरियाणा	2	(i) शाहबाद में कोस मीनार, (ii) मुजेसर में कोस मीनार,
चेन्नई	तमिलनाडु	3	(i) एक जैन मूर्ति (ii) प्राचीन नगर प्राचीर (iii)

			डेविड येल और जोशेफ हिनमर का मकबरा
देहरादून	उत्तराखण्ड	2	(i) खेरा की बाँदी, रूड़की तथा(ii) कुटुम्बरी मंदिर, द्वाराहाट, अल्मोड़ा
दिल्ली	दिल्ली	15	(i) शेरशाह का दिल्ली का मोती द्वार, मौजा बाबरपुर, बजीदपुर (ii) पूल चादर, मौजा चौकरी, मुबारकबाद (iii) अलीपुर कब्रगाह, अलीपुर शिविर भूमि (iv) बाराखम्भा कब्रगाह, इम्पीरियल शहर (v) कैप्टन मैक बर्नेट और अन्य जो किशनगंज आक्रमण में मारे गये थे, का मकबरा, किशनगंज (vi) निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास तीन गुम्बदों वाला मकबरा (vii) सीज बैटरी स्थल शिलालेख जिस पर लिखा है- "सही आक्रमण, लेफ्टीनेंट एफ.आर. मानसेल, आर.ई. डायरेक्टिंग इंजीनियर, सं.1 बैटरी-राइट, मेजर जेम्स बृंद, आर.ए. कमाडिंग, आर्मामेंट पांच 18 पाउंर्डसः 18 इंच तोप शांत मोरी बेस्टियन को " पुलिस लाइन में अस्पताल के पूर्व में (viii) सीजबैटरी स्थल अग्रलिखित शिलालेख के साथ "सं. ।। बैटरी-राइट, मेजर एडवर्ड काये, आर.ए., कमाण्डिंग आर्मामेण्ट-टू 18 पाउण्डर्स, सात 8 इंच के तोप, कश्मीर गढ़ को तोड़ने के लिए " कर्जन हाउस परिसर (ix) इंचला वाली गुमटी, गाँव मुबारकपुर कोटला (x) टीला जिसे जोगा बाई के नाम से जाना जाता है और जो जामिया नगर की तरफ सर्वे प्लाट न. 167 में समाविष्ट है (xi) शम्सीतालाब दोनों प्रवेश द्वारों के साथ, महरौली। (xii) निकॉलसन की मूर्ति, इसका मंच, चारों ओर से घेरे हुए बगीचे, रास्ते और घेरे हुए दीवार, कश्मीरी गेट के बाहर (xiii) सीज बैटरी स्थल, कुदसिया मस्जिद बाग (xiv) सील बैटरी स्थल, कुदसिया मस्जिद बाग, (xv) सत्य नारायण भवन।
धारवाड़	कर्नाटक	1	(i) बीजापुर में नन्दीकेश्वर शिलालेख,
गुवाहाटी	असम	6	(i) ताम्र मंदिर के खण्डहर (ii) बादशाह शेरशाह की बंदूकें (iii) लेफ्टीनेट क्रेसवेल का मकबरा, गोलपारा (iv) भैरवी की मूर्तिकला, कामाख्या पहाड़ी (v) चूमेरी अहाता की मूर्तिकला, तेजपुर (vi) यू-मावथोह-दूर का पत्थर स्मारक, शिलांग।

हैदराबाद	आन्ध्रप्रदेश	8	(i) टीले पर प्राचीन बौद्ध अवशेष और ब्राह्मी शिलालेख (ii) मूर्तियां, नक्काशियां, चित्र अथवा अन्य इसी प्रकार की वस्तुएँ (iii) प्राचीन अवशेषों वाली नागार्जुनकोण्डा की पहाडियाँ (iv) प्राचीन टीलों पर मूतियां, नक्काशियां, चित्र (v) मूतियां, नक्काशियां, चित्र तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुएँ जो मस्जिद के आस-पास पाई गई हैं (vi) वृहत् पुराकालीन स्मारक (vii) टीला-डिब्बा सं.1 से 5 (viii) टीला, नागुलावरम्।
जयपुर	राजस्थान	3	(i)बरन मंदिर, शिलालेख नगर, टोंक (ii) पुरातात्विक स्थल (iii) ज्योरा के अवशेष, निलोध।
कोलकता	प. बंगाल	7	(i) टीला और सूर्य की मूर्ति (ii) जैन मूर्ति वाला टीला (iii) वृक्ष के नीचे महिषासुर का वध करते हुए माँ दुर्गा का चित्र (iv) मंदिर स्थल जो अब केवल एक टीले द्वारा प्रदर्शित है (v) एक टीला जिस पर नन्दी चित्र है (vi) गणेश और नन्दी के चित्र वाला एक टीला (vii) नादिया किला के खण्डहर, पश्चिम बंगाल।
लखनऊ	उत्तर प्रदेश	9	(i) वृहत् मंदिर के अवशेष, रामनगर चित्रकूट (ii) बंद कब्रगाह, कटरा नाका, बांदा (iii) साण्डी खेरा कहे जाने वाला वृहत खण्डहर स्थल, पाली, शाहाबाद, हरदोई (iv) कब्रगाह, जालौन (बस स्टैण्ड), जालौन, जालौन (v) गनर बर्किल का मकबरा, रंगाव,मेहरोनी, ललितपुर (vi) इमामबाड़ा अमीन-उद दौला, लखनऊ(vii) लखनऊ-फैजाबाद मार्ग पर 3, 4 और 5 मील की दूरी पर तीन मकबरे, लखनऊ (viii) 6 एवं 7 मील की दूरी पर, जहरौला रोड़, लखनऊ में कब्रगाह (xi) गऊघाट, लखनऊ में कब्रगाह
मुंबई	महाराष्ट्र	3	(i) पुराना यूरोपीय मकबरा, पुणे (ii) एक बुर्ज, अगरकोट (iii) मण्डपेश्वर, बोरीवली में बड़ी निगरानी मिनार के साथ लगे पहाड़ की गुफा के ऊपर पुतगाली मठ
श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर	3	(i) शीतला,नारद, ब्रह्मा और राधा-कृष्ण (बसोहली)की पत्थर नक्काशी (ii) विश्वेश्वर गुफा

			मंदिर और अन्य गुफा मंदिर (बसोहली) (iii) शेर पर सवार देवी की पत्थर नक्काशी।
वड़ोदरा	गुजरात	2	(i) प्राचीन स्थल, सेजकपुर, सुरेन्द्रनगर (ii) ऐतिहासिक स्थल सं. 431 से 435, वड़ोदरा
पटना	बिहार	11	(i) 1000 ई. के तीन लघु लिंग मंदिर वृतों के खण्डहर, अहूगी मिर्जापुर (ii) पहाड़ी के पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी छोर पर महापाषाण के साथ तीन स्थल, चन्दौली (iii) ट्रेजरी बिल्डिंग पर स्मरण पुस्तक, वाराणसी (iv) तेलिया नाला का बौद्ध खण्डहर, वाराणसी (v) बरगद का उपवन जो अपने में प्राचीन भवन के चिन्हों को समाहित किए हुए है, अमावे, बलिया (vi) डीह या किले का खण्डहर, जिसे सूरी का राज कहा जाता है, गाजीपुर (vii) ईंट के खण्डहर का टीला, साहिया, कुशीनगर (viii) विशाल टीलों की श्रृंखला, गोरखपुर (ix) दुर्ग प्राचीर के अवशेष और टीला जिसे रानी का महल नाम से जाना जाता है तथा जो पुराने किले में स्थित है जिसे किल्ला बिहार शरीफ, नालंदा केनाम से जाना जाता है, (x) बड़ा डीह या टीला, चोतिओं, कसिया, कुशीनगर (xi) खण्डहरों का ढेर जिसे श्रेया कहा जाता है, कुशीनगर
		92	

अनुबंध 2.2

(पैरा 2.6.3 के संदर्भ में)

उन मामलों का विवरण जहाँ अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई थी

परिमण्डल	स्मारक का नाम
हैदराबाद	प्राचीन स्थल, पुसलपाडु, जिला-प्रकासम
पटना	लम्बा टीला, जिला चंदौसी, उत्तर प्रदेश
	वृहत आयाताकार टीला, जिला-चंदौसी, उत्तर प्रदेश
	खण्डर का लघु शक्वाकार टीला जिसे देवी- का स्थान कहा जाता है, जिला चंदौसी, उत्तर प्रदेश
	प्राचीन बौद्ध स्थल जिसे चौखण्डी स्तूप के रूप में जाना जाता है, जिला-चंदौसी, उत्तर प्रदेश
कोलकाता	सेंट जॉन्स चर्च
भोंपाल	कमलापति महल और संलग्न क्षेत्र, भोपाल
	वराह की मूर्ति (विष्णु वराह), महादेव की छवि और अन्य हिन्दू और जैन देवताओं की आकृति जो चार टीलों पर और बरगद के पेड़ के नीचे फैली हुई है; कटनी
	नक्काशी किए हुए पत्थर के चबूतरे पर शिव मंदिर तथा पत्थर के 8 जैन चित्र, कटनी
	लड़की- का-टीला, कटनी
	चित्रित शिला शरण स्थल, दो बौद्ध स्तूप तथा अन्य अवशेष, शिहोर, मध्य प्रदेश
	कंकाली देवी मंदिर स्थल जिसमें इसके पास के देवी मंदिर और खण्डर मंदिर शामिल है, कटनी, मध्य प्रदेश
गुवाहाटी	प्राचीन टीला जिसे श्याम सुन्दर पहाड़ी कहते हैं
	पूजाखोला, त्रिपुरा
त्रिशुर	तनकैलासनाथ मंदिर
	शिव मंदिर, थिरूवनचिकुलम

अनुबंध 2.3

(पैरा 2.6.8 के संदर्भ में)

पुरावस्तुएँ जो संरक्षित स्मारक के रूप में हैं

क्र.सं.	परिमण्डल कार्यालय	जिला	स्मारक का नाम
1.	गुवाहाटी	सिब सागर	सिब सागर जलाशय के किनारे अहोम कालीन 8 तोप, सिब सागर
		सिब सागर	शिव मूर्ति, जॉय सागर
		तिन सुकिया	सम्राट शेरशाह की बंदूक, सादिया
		तिन सुकिया	मुगल नव्वारा से संबंधित दो कुण्डों वाली बंदूकें, सादिया
2.	पटना	पटना	टैंक
3.	रायपुर	बस्तर	गणेश मूर्ति
4.	बड़ोदरा	दीव	बांगली
5.	धारवाड़	बीजापुर	परकोटा पर एवं ट्राफी में सभी पुरानी बंदूकें
6.	मुंबई	शोलापुर	महादेव पाषाण
		थाणे	नक्काशी किए गए पाषाण
7.	जयपुर	भरतपुर	लूटी हुई बंदूकें
		भरतपुर	संगमरमर झोला
		भरतपुर	कच्चा बैग
8.	चेन्नई	तंजावुर	बड़ी तोप (रामगोपाल तोप) पहले परकोटे में तथा वार्ड iii के टी.एस. सं. 608 में बैस्टीयन
		वेल्लोर	तोप
9.	लखनऊ	महोबा	पांच पूर्णकाय हाथी की मूर्ति
		जौनपुर	छोटे हाथी पर सवार विशाल शेर के पत्थरों का समूह। यह अकबर पुल पर स्थित है
10.	कोलकता	बांकुरा	डलमडाल बंदूक और वह स्थान जहाँ पर यह स्थित है
		मुर्शिदाबाद	जहाँ कोसा बंदूक

अनुबंध 2.4
(पैरा 2.8.2 के संदर्भ में))

स्मारकों या इसके भागों की अप्राधिकृत समाप्ति

क्र.सं.	परिमण्डल का नाम	स्मारक का नाम
1.	**भोपाल**	मन मंदिर महल, ग्वालियर
2.		उदयगिरी में गुफा सं. 20
3.		भीम वेटिका, विश्व विरासत स्थल
4.		हम्माम के कुछ भाग, बुरहानपुर
5.	**दिल्ली**	सफदरजंग का मकबरा
6.		नजफ खान का मकबरा
7.		जंतर मंतर
8.		कुतुब मीनार
9.		लाल किला
10.		मुण्डा गुम्बद
11.		सकरी गुमटी
12.		लाल गुम्बद
13.		काले खाँ का मकबरा
14.		लाल गुम्बद, चिराग दिल्ली
15.		सुन्दर बुर्ज
16.	**धारवाड़**	बीदर किला
17.		विट्ठल परिसर, हम्पी
18.	**गोवा**	सेण्ट फ्रांसिस ऑफ असीसी का मठ
19.	**हैदाराबाद**	मनचिकालू के बौद्ध अवशेष
20.		चारमीनार का एक भाग
21.	**लखनऊ**	सपाट छत वाला मंदिर, महोबा और लखनपुर टीला, हमीरपुर
22.	**रायपुर**	विट्ठल परिसर का सभा-मण्डप
23.	**शिमला**	खण्डहर किला, कांगड़ा

अनुबंध 3.1

(पैरा 3.1 के संदर्भ में)

विश्व विरासत स्थलों की सूची

क्र.सं.	स्थल का नाम	अंतर्विष्ट के वर्ष	राज्य
I सांस्कृतिक स्थले (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में)			
1.	अजन्ता गुफाएँ	1983	महाराष्ट्र
2.	एलोरा गुफाएँ	1983	महाराष्ट्र
3.	आगरा का किला	1983	उत्तर प्रदेश
4.	ताजमहल	1983	उत्तर प्रदेश
5.	सूर्य मंदिर, कोणार्क	1984	उड़ीसा
6.	स्मारकों के समूह, महाबलीपुरम	1984	तमिलनाडु
7.	गोवा गिरजाघर एवं मठ	1986	गोवा
8.	मंदिरों का समूह, खजुराहो	1986	मध्य प्रदेश
9.	स्मृति अवशेषो के समूह, हम्पी	1986	कर्नाटक
10.	स्मारकों के समूह, फतेहपुर सीकरी	1986	उत्तर प्रदेश
11.	मंदिरों के समूह, पट्टाड्कल	1987	कर्नाटक
12.	ऐलीफेंटा गुफाएँ	1987	महाराष्ट्र
13.	तंजावुर, गंगईकांडचोलपुरम तथा दारासुरम के महान जीवंत चोल मंदिर	1987 & 2004	तमिलनाडु
14.	सांची के बौद्ध स्मारक	1989	मध्य प्रदेश
15.	हुमायूँ का मकबरा, दिल्ली	1993	दिल्ली
16.	कुतुबमीनार परिसर, दिल्ली	1993	दिल्ली
17.	भीमबेटका की प्राक्-ऐतिहासिक शैल गुफाएँ	2003	मध्य प्रदेश
18.	चंपानेर पावगढ के पुरातात्विक उद्यान	2004	गुजरात
19.	लालकिला परिसर, दिल्ली	2007	दिल्ली
II रेल मंत्रालय के संरक्षण में			
20.	भारत के पर्वतीय रेलमार्ग (दार्जिलिंग, नीलगिरी, कालका-शिमला)	1999, 2005, 2008	पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश

क्र.सं.	स्थल का नाम	अंतर्विष्ट के वर्ष	राज्य
21.	छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस)	2004	महाराष्ट्र
III बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के संरक्षण में			
22.	महाबोधि मंदिर बोधगया	2002	बिहार
IV राजस्थान राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के संरक्षण में			
23.	जंतर-मंतर, जयपुर	2010	राजस्थान
V प्राकृतिक स्थलें (वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के संरक्षण में)			
24.	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	1985	असम
25.	मानस वन्य-जीव अभ्यारण्य	1985	असम
26.	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	1987	राजस्थान
27.	सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान	1987	पश्चिम बंगाल
28.	नंदादेवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान	1988, 2005	उत्तराखण्ड
29.	पश्चिमी घाट	2012	केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश

अनुबंध 3.2

(पैरा 3.2.2 के संदर्भ में)

विश्व विरासत स्थल हेतु अंतरिम सूची के अंतर्गत शामिल स्मारक

क्र.सं.	स्मारक/स्थल के नाम	अंतरिम सूची में अंतर्विष्टि की अवधि
1. [67]	प्राचीन बौद्ध स्थल, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश	जुलाई, 1998
2.	भीतरकणिका संरक्षण क्षेत्र	मई, 2009
3.	बौद्ध मठ परिसर, अल्ची, लेह, अल्ची चोस-कोर के नाम से ज्ञात	जुलाई 1998
4.	चर्चगेट-मुम्बई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का विस्तार	जनवरी 2009
5.	दिल्ली-एक विरासत शहर	मई 2012
6.	राष्ट्रीय मरूद्यान	मई 2009
7.	धौलावीरा-एक हड़प्पा नगर, गुजरात, जिला कच्छ	जुलाई 1998
8.	नालंदा के उत्खनित अवशेष	जनवरी 2009
9.	गोलकोंड़ा किला, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	जुलाई 1998
10.	उच्च हिमालय राष्ट्रीय उद्यान	मई 2009
11.	मांडू के स्मारकों के समूह, मध्य प्रदेश	जुलाई 1998
12.	हेमिस गोम्पा	जुलाई 1998
13.	राजस्थान के पहाड़ी किले	दिसम्बर 2010
14.	अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर	मार्च 2011
15.	कांगनचेनजोगा राष्ट्रीय उद्यान	मार्च 2006
16.	मत्तानचेरी महल, एर्नाकुलम, केरल	जुलाई 1998
17.	कश्मीर की मुगल वाटिकाएँ	दिसम्बर 2010
18.	नामदफा राष्ट्रीय उद्यान	मार्च 2006
19.	न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान	मई 2009
20.	ओक ग्रोव स्कूल	जनवरी 2009
21.	रानी की वाव (द क्वीन्स स्टैपवेल), पाटन, गुजरात	जुलाई 1998
22.	असम में ब्रहमपुत्र नदी की मध्य-धारा में स्थित माजुली नदी द्वीप	मार्च 2004

[67] भूरा रंग की प्रविष्टियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणद्वारा संरक्षित स्मारकों/स्थलोंकोदर्शातीहै।

क्र.सं.	स्मारक/स्थल के नाम	अंतरिम सूची में अंतर्विष्टि की अवधि
23.	शांति निकेतन	जनवरी 2010
24.	भारत में रेशम मार्ग स्थल	जनवरी 2010
25.	श्री हरमंदिर साहिब, अमृतसर, पंजाब	जनवरी 2004
26.	विष्णुपुर के मंदिर, पश्चिम बंगाल	जुलाई 1998
27.	भारत के पर्वतीय रेलमार्ग का विस्तार कांगड़ा घाटी रेलमार्ग	जनवरी 2009
28.	भारत की महाराजा रेल	जनवरी 2009
29.	माथेरान पर्वतीय रेलमार्ग (भारत के पर्वतीय रेलमार्ग का विस्तार)	नवम्बर 2005
30.	हैदराबाद गोलकोंडा किला के कुतुब शाही स्मारक, कुतुब शाही मकबरे, चारमीनार	सितम्बर 2010
31.	मुंबई का द विक्टोरियन एण्ड आर्ट डेको एनासैम्बल (विक्टोरिया काल के कला सज्जा का सामूहिक दृश्य, मुंबई)	मई 2012
32.	शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम, बिहार	जुलाई 1998
33.	चंडीगढ़ में ली कॉर्बुजियर के नगरीय एवं पुरातत्विक कार्य	अक्तूबर 2006
34.	वन्य गर्दभ अभ्यारण्य, कच्छ का लघु रण	मार्च 2006

अनुबंध 3.3

(पैरा 3.4 के सदर्भ में)

2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के लिए विश्व विरासत स्थलों की सामान्य सूचनाए

स्थल के नाम	संरक्षण पर व्यय (₹ करोड़ में)	भारतीय दर्शक (संख्या लाख में)	विदेशी दर्शक (संख्या लाख में)	राजस्व (₹ करोड़ में)	सुरक्षा प्रहरियों की संख्या	अतिक्रमण के मामलों की संख्या	अनाधिकृत निर्माण क मामलों की संख्या
सूर्य मंदिर ओडिशा	2.82	93.07	0.44	9.91	52	शून्य	शून्य
खजुराहों, मध्य प्रदेश	3.19	11.26	4.35	9.43	9	शून्य	628
भीमबेटका, मध्य प्रदेश	0.29	गैर प्रवेश शुल्क स्मारक			20	1	शून्य
बौद्ध स्मारक, साँची, मध्य प्रदेश	0.73	8.49	0.47	1.85	2	शून्य	49
ताजमहल, उत्तर प्रदेश	72.71	172.94	30.55	84.9	275	शून्य	33
फतेहपुर सिकरी, उत्तर प्रदेश	53.94	16.29	10.18	24.87	46	शून्य	194
आगरा किला, उत्तर प्रदेश	46.3	70.55	17.52	47.94	45	शून्य	7
हम्पी, कर्नाटक	14.87	22.35	1.65	6.26	79	2	41
अजंता गुफाएँ, महाराष्ट्र	7.19	15.4	1.17	4.97	42	शून्य	शून्य
एलोरा गुफाएँ, महाराष्ट्र	4.67	37.78	1.02	7.15	42	शून्य	शून्य
ऐलिफेंटा गुफाएँ, महाराष्ट्र	0.59	12.98	0.93	4.05	29	शून्य	शून्य
महाबलीपुरम, तमिलनाडु	2.5	47.27	3.42	12.94	14	शून्य	39
चोल मंदिरें, तंजावुर	3.19	गैर प्रवेश शुल्क स्मारक			18	शून्य	64
चंपानेर, पावागढ़, गुजरात	3.48	4.62	0.08	0.48	66	1	107
पट्टाड़कल, कर्नाटक	0.78	13.22	0.28	1.83	22	शून्य	शून्य
गोवा की गिरजाघरें, गोवा	3.71	गैर प्रवेश शुल्क स्मारक			7	शून्य	शून्य
लालकिला, दिल्ली	14.51	117.16	7.45	25.59	436	2	13
कुतुब मीनार, दिल्ली	5.72	121.21	14.24	47.73	57	1	शून्य
हुमायूँ का मकबरा, दिल्ली	2.77	17.51	11.23	30.13	67	शून्य	

अनुबंध - 3.4
(पैरा 3.4 एवं 3.5 के संदर्भ में)

विश्व विरासत स्थलों पर अनियमितताओं का विवरण

अनियमितता/ अनुपलब्धता	स्मारकों/स्थलों की संख्या	स्मारक/स्थलों के नाम
स्थल का नक्शा एवं उप-परिमंडल अधिसूचना की प्रति के पास	5	कुतुब मीनार, हुमायुँ का मकबरा, हम्पी, महान जीवंत चोल मंदिर तंजावुर एवं महाबलीपुरम।
दीर्घावधि योजना	14	हम्पी, सांची, भीमबेटका, खजुराहो, महाबलीपुरम, चोलमंदिर, एलिफेंटा गुफाएं, एलोरा, कुतुबमीनार, लालकिला, हुमायुं का मकबरा, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी एवं ताजमहल।
पेयजल	1	गोवा के गिरजाघर।
लॉकर	11	अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, फतेहपुर सीकरी, महाबलीपुरम, भीमबेटका एवं पट्टडकल, गोवा के गिरजाघर, हम्पी, कोणार्क सूर्य मंदिर, चंपानेर।
विक्लांगों के लिए सुविधा	6	लालकिला, हुमायुं का मकबरा, चोलमंदिर, तंजावुर, महाबलीपुरम, भीमबेटका एवं हम्पी।
प्रकाशन	4	हम्पी, गोवा के गिरजाघरों, चोल एवं मंदिर पट्टडकल।
निरीक्षण एवं रख रखाव	6	आगरा का किला, पट्टडकल, गोवा के गिरजाघर, लालकिला, कुतुब मीनार एवं हुमायुं का मकबरा।
सुरक्षा उपकरण (हस्तधारितधातु संसूचक एवं क्रमवीक्षक)	7	पट्टडकल, चंपानेर एवं गोवा के गिरजाघर, भीमबेटका, चोलमंदिर, तंजावुर,, महाबलीपुरम, ऐलीफेंटा
सी.सी.टी.वी.	16	कोणार्क सूर्य मंदिर, हम्पी, पट्टड़कल, गोवा के गिरजाघर, चंपानेर, भीमबेटका, चोल मंदिर, महाबलीपुरम, ऐलीफेंटा, एलोरा एवं अजंता, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायुं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी एवं आगरा का किला।
विद्युत संसूचक उपकरण	8	हुमायुं का मकबरा, आगरा का किला, ऐलीफेंटा, महाबलीपुरम, भीमबेटका, सांची एवं हम्पी

गाइड सेवाएं	19	लाल किला, हुमायुँ का मकबरा, कुतुब मीनार, अजंता, एलोरा, ऐलीफेंटा, चोल मंदिंर तंजावुर, महाबलीपुरम, खजुराहो, भीमबेटका, सांची, गोवा के गिरजाघर, हम्पी, पट्टड़कल, कोणार्क सूर्य मंदिर, चंपानेर, ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी।
ऑडियो गाइड	14	लाल किला, हुमायुं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, भीमबेटका, हम्पी, पट्टडकल, अजंता, एलोरा, ऐलीफेंटा, महाबलीपुरम, चोल मंदिरे तंजावुर, गोवा के गिरजाघर, कोणार्क सूर्य मंदिर, चंपानेर।
अतिक्रमण	5	हम्पी, चंपानेर, भीमबेटका, लाल किला, कुतुब मीनार
अनधिकृतनिर्माण	10	खजुराहो, सांची, फतेहपुर, ताजमहल आगरा का किला, हम्पी, चोल मंदिर तंजावुर, महाबलीपुरम, चंपानेर एवं लाल किला
आंशिक रूप से बंद स्मारक	9	आगरा का किला, लालकिला, कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता, भीमबेटका, गोवा के गिरजाघर, हम्पी एवं कोणार्क सूर्य मंदिर।

अनुबंध -4.1

(पैरा 4.7 के संदर्भ में)

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं राष्ट्रीय संस्कृति निधि की परियोजनाओं का विवरण

क्र.स	परियोजना का नाम	सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि	सहमति पत्र का उद्देश्य	परियोजना के प्रायोजक	कुल प्रतिबद्ध राशि (₹ लाख में)	प्रायोजक का योगदान 31.03.2012 तक (₹ लाख में)	परियोजना लेखा मे शेष 31.03.2012 को (राशि लाख में)	परियोजना की स्थिति
1.	हुमायुं का मकबरा, नई दिल्ली	16.4.1999	संरक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन, पेयजल की व्यवस्था की पुनर्स्थापना एवं वाटिकाओं के पुनर्नवीकरण के अलावा प्रकाशीकरण	आगा खाँ ट्रस्ट, जेनेवा एवं मेसर्स ओबरायॅ ग्रुप ऑफ होटेल्स, नई दिल्ली	30.46	30.46	0.16	पूर्ण
2.	शनिवारवाड़ा भवन, पुणे	22.1.2001	शनिवारवाड़ा भवन, पुणे के वैभव का पुनर्निमाण एवं आसपास के वातावरण का विकास।	पुणे नगर निगम	96.03	96.03	27.94	पूर्ण
3.	जंतर मंतर, नई दिल्ली	11.10.2000	जंतर-मंतर नई दिल्ली का सरंक्षण एवं सवृंद्धि	मेसर्स एपीजे सुरेन्द्र होटेल्स लिमिटेड	10.00	16.50	6.37	परियोजना शुरू होने के 12 वर्ष पश्चात भी पूरी नहीं की जा सकी। परियोजना कार्यान्वयन समिति को रोशनी एवं संकेत पट्ट की व्यवस्था इत्यादि के कार्यान्वयन के लिए परियोजना सलाहकार संस्था के चयन जैसी मदों की

क्र.स	परियोजना का नाम	सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि	सहमति पत्र का उद्देश्य	परियोजना के प्रायोजक	कुल प्रतिबद्ध राशि (₹ लाख में)	प्रायोजक का योगदान 31.03.2012 तक (₹ लाख में)	परियोजना लेखा मे शेष 31.03.2012 को (राशि लाख में)	परियोजना की स्थिति
								जानकारी नहीं थी, और यह केवल दानकर्ताओं द्वारा ही प्रबंधित किये जाते थे। सहमतिपत्र 5 साल के लिए ही वैध था तथा इसका नवीनीकरण नहीं किया गया।
4.	ताजमहल, आगरा	21.6.2001	परिरक्षण एवं उन्नयन, ताजमहल, आगरा	मेसर्स इंडियन होटेल्स कंपनी लिमिटेड, भा.पु.स.	187.00	104.00	0.03	सहमति-पत्र की वैधता 25 वर्ष थी। दानकर्ता ने सूचित किया कि उन्होनें इस पर प्रतिबद्ध संपूर्ण राशि व्यय कर दी थी, और वे इसके लिए अन्य कोई अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने की स्थिति मे नहीं थे और इस परियोजना को बंद करना चाहते थे। महानिदेशक, भा.पु.स. से दिसम्बर 2010 में तत्कालीन स्थिति के विषय में प्रतिवेदन मांगा गया था, जो अब तक लंबित था। (फरवरी 2013)
5.	1. कुतुब मीनार, दिल्ली 2.सूर्य मंदिर, कोणार्क ओड़िशा	30.3.2001	विकास एवं संरक्षण	भारतीय तेल निगम (भा.ते.नि.)	4000.00	2700.00	110.83	भारतीय तेल निगम से प्राप्त की गई 26.00 करोड़ ₹ की राशि को भारतीय तेल संघ (आई.ओ.एफ.) को हस्तांतरित

क्र.स	परियोजना का नाम	सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि	सहमति पत्र का उद्देश्य	परियोजना के प्रायोजक	कुल प्रतिबद्ध राशि (₹ लाख में)	प्रायोजक का योगदान 31.03.2012 तक (₹ लाख में)	परियोजना लेखा मे शेष 31.03.2012 को (राशि लाख में)	परियोजना की स्थिति
	3. कन्हेरी महाराष्ट्र 4. हम्पी, कर्नाटक 5. खजुराहो, मध्य-प्रदेश का विकास कार्य।							किया गया था एवं भारतीय तेल निगम को कर-छूट प्रमाण पत्र दिया गया था, लेकिन स्थल पर कोई विकास कार्य शुरू नहीं हुआ। स्मारक की स्थिति में भी भा.पु.स. एवं भारतीय तेल संघ दोनों के द्वारा परिवर्तन किया गया। राष्ट्रीय वन संरक्षण, भारतीय तेल निगम के साथ सहमति पत्र के पुनर्नवीकरण के पक्ष में नहीं था।
6.	जैसलमेर किला, राजस्थान	13.8.2003	जैसलमेर किले का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार	विश्व स्मारक कोष (1.96 करोड़) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (4.00 करोड़)	596.00	600.00	515.27	यद्यपि सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर एक अंर्तराष्ट्रीय संस्था के साथ किया गया था, फिर भी, न तो किसी विधि विशेषज्ञ से सलाह ली गई, न ही कोई समय सीमा इत्यादि तय की गई थी। यद्यपि एक संयुक्त खाता खोला गया था, तथापि विश्व स्मारक कोष के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के बिना भुगतान किया गया।

क्र.स	परियोजना का नाम	सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि	सहमति पत्र का उद्देश्य	परियोजना के प्रायोजक	कुल प्रतिबद्ध राशि (₹ लाख में)	प्रायोजक का योगदान 31.03.2012 तक (₹ लाख में)	परियोजना लेखा मे शेष 31.03.2012 को (राशि लाख में)	परियोजना की स्थिति
								मृदा-विश्लेषण, भौगोलिक अध्ययन तो किये गये थे, लेकिन सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर के 9 वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी जमीनी स्तर पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ।
7.	लोदी मकबरा, नई दिल्ली	10.1.2006	लोदी वाटिका स्मारकें- 1 सिकंदर लोदी का मकबरा। 2 शीश गुम्बद 3 बड़ा गुम्बद मस्जिद। 4 मोहम्मद शाह का मकबरा तथा 5 अठपुला (पुराना लोदी पुल)	मेसर्स भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली	100.00 + 50.00 (परिरक्षण कार्य की समाप्ति के पश्चात् पांच वर्ष के लिए अनुरक्षण)	50.00	27.33	कार्य का अत्यधिक भार होने के कारण भा.पु.स. ने कार्य लेने से मना कर दिया था तथा इस कार्य को इनटैक को सौंपा गया था। इनटैक के साथ किसी भी औपचारिक कार्य आदेश/सहमति पर हस्ताक्षर नहीं किये गये। इनटैक द्वारा किए गए कार्य का जब भा.पु.स. ने पुनर्निरीक्षण किया तो इसे काफी निम्न स्तर का पाया। इनटैक सुधार कार्य करने के लिए सहमत था तथा उसने राशि की दूसरी किश्त उपलब्ध कराने की मांग की लेकिन भा.पु.स. ने कोई अतिरिक्त कोष उपलब्ध कराने से पहले सुधार कार्य को पूरा करने को

क्र.स	परियोजना का नाम	सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि	सहमति पत्र का उद्देश्य	परियोजना के प्रायोजक	कुल प्रतिबद्ध राशि (₹ लाख में)	प्रायोजक का योगदान 31.03.2012 तक (₹ लाख में)	परियोजना लेखा मे शेष 31.03.2012 को (राशि लाख में)	परियोजना की स्थिति
								कहा। इस मामले पर आगे कोई प्रगति नहीं पायी गई।
8.	लौरिया नंदन गढ़ परियोजना	18.12.2007	लौरिया नंदन गढ़, चंकी गढ़, तथा रामपुरवा, पश्चिमी चंपारण, बिहार का विकास।	मैसर्स बोकारो स्टील प्लांट	50.00	25.00	25.04	दानकर्ता से प्राप्त भुगतान पहले चालू खाते में रखा गया था जिसका स्थांतरण बाद में मई 2010 में बचत खाते में कर दिया गया। सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर के पांच वर्ष बीत जाने के पश्चात भी जमीनी स्तर पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। सहमति-पत्र की वैधता दिसम्बर 2012 तक थी। सहमति-पत्र की पुनरावृति के कोई प्रयास नहीं किये गये । राष्ट्रीय संस्कृति निधि ने सूचित किया कि अगम्यता एवं कार्य की स्थिति को देखते हुए, भा.पु.स. ने चयनित स्मारक के बदलाव का सुझाव दिया था।
9.	गोल गुम्बद, बीजापुर	22.2.2008	गोल गुम्बद, बीजापुर का पुनरूत्थान।	मेसर्स स्टेट ट्रेडिंग कॉर्प लिमिटेड	50.00	10.00	11.40	परियोजना के लिए सलाहकार का चयन कर लिया गया था। जमीनी स्तर पर अब तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ।

क्र.स	परियोजना का नाम	सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि	सहमति पत्र का उद्देश्य	परियोजना के प्रायोजक	कुल प्रतिबद्ध राशि (₹ लाख में)	प्रायोजक का योगदान 31.03.2012 तक (₹ लाख में)	परियोजना लेखा मे शेष 31.03.2012 को (राशि लाख में)	परियोजना की स्थिति
10.	वजीरपुर का गुम्बद, नई दिल्ली	28.3.2008	वजीरपुर का गुम्बद, मुनीरका नई दिल्ली का पुनरूत्थान	मेसर्स पी.ई.सी. लिमिटेड	25.00	16.00	1.48	सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके थे, लेकिन तीन वर्ष से भी अधिक समय के पश्चात् भा.पु.स. ने परियोजना के प्रायोजक से चयनित स्मारक परिवर्तित करने को कहा। राष्ट्रीय संस्कृति निधि ने कभी आपत्ति नहीं की और अगस्त 2011 में एक परिशिष्ट जारी कर "युसुफ कत्तल " के सुधार कार्य का उत्तरदायित्व ले लिया। कार्य अभी भी प्रगति पर था, जबकि सहमति-पत्र की वैधता केवल तीन वर्ष थी तथा उसका पुनर्नवीकरण नहीं किया गया था।
11.	कृष्णा मंदिर, हम्पी	12.6.2008	कृष्णा मंदिर हम्पी का संरक्षण	हम्पी संस्थान, कर्नाटक	400.00	40.00	34.68	कोई ठोस कार्य शुरू नहीं हुआ, सलाहकार के कार्य क्षेत्र के विषय क्षेत्र को सुनिश्चित करना अभी भी बाकी था।
12.	हिडिम्बा देवी परियोजना	15.7.2008	हिडिम्बा देवी मंदिर, मनाली का पुनरूत्थान	युनाईटेड कॉमर्शियल बैंक, चंडीगढ़	20.00	20.00	22.27	स्थल पर वास्तविक कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ। सहमति-पत्र का एक परिशिष्ट जारी किया गया।

क्र.स	परियोजना का नाम	सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि	सहमति पत्र का उद्देश्य	परियोजना के प्रायोजक	कुल प्रतिबद्ध राशि (₹ लाख में)	प्रायोजक का योगदान 31.03.2012 तक (₹ लाख में)	परियोजना लेखा मे शेष 31.03.2012 को (राशि लाख में)	परियोजना की स्थिति
13.	तुगलकाबाद किला परियोजना	13.4.2009	तुगलकाबाद किला, नई दिल्ली का पुनरूत्थान	मेसर्स भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल)	30.00	30.00	32.95	सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर के दो वर्ष पश्चात् भा.पु.स. ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर स्मारक में बदलाव का प्रस्ताव किया। राष्ट्रीय संस्कृति निधि ने न तो इस पर कोई आपत्ति की, न ही इस विषय पर कोई परिशिष्ट जारी किया।
14.	इब्राहिम रोजा परियोजना	11.12..2009	इब्राहिम रोजा परियोजना तथा गोल गुम्बद बीजापुर के वाटिकाओं का विकास	नौरस न्यास, कर्नाटक	30.00	15.00	15.40	कार्य का कार्यान्वयन चार वर्षों के अंदर तीन चरणों में किया जाना था। अभी तक केवल प्रथम चरण का कार्य ही समाप्त हुआ है।
15.	मांडू, विक्रमशिला तथा ललितगिरि/ धौली	22.12.2009	संरक्षण कार्य	मेसर्स राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड	500.00	50.00	55.67	सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर के दो वर्ष पश्चात, भा.पु.स. ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड से जोगेश्वरी के स्थान पर विक्रमशिला स्मारक लिये जाने का निवेदन किया। कार्य प्रगति पर था।
16.	शिव मंदिर, अम्बरनाथ	25.2.2010	प्राचीन शिव मंदिर, अम्बरनाथ का संरक्षण कार्य।	मेसर्स नागरिक सेवा मंडल अम्बरनाथ	22.31	22.31	22.31	स्थल पर वास्तविक कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ था।

क्र.स	परियोजना का नाम	सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि	सहमति पत्र का उद्देश्य	परियोजना के प्रायोजक	कुल प्रतिबद्ध राशि (₹ लाख में)	प्रायोजक का योगदान 31.03.2012 तक (₹ लाख में)	परियोजना लेखा मे शेष 31.03.2012 को (राशि लाख में)	परियोजना की स्थिति
17.	अहोम स्मारक	29.6.2010	चार अहोम स्मारकों के रख-रखाव तथा पुनर्नवीकरण का कार्य।	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम	238.00	30.00	15.59	परियोजना कार्यान्वयन समिति ने अगस्त 2011 में अपने सम्मेलन में यह फैसला किया कि परियोजना का कार्यान्वयन क्षेत्रीय निदेशक, पूर्व एवं उनके दल के द्वारा होना चाहिए। यह भी निर्णय हुआ कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कर्मचारियों के अनुबंध के आधार पर नियोजन के लिए अधीक्षक पुरातत्वविद्, गुवाहाटी मंडल भारतीय रोजगार कार्यालय से मांग करेगा।
18.	हजारद्वारी भवन	13.7.2010	हजारद्वारी महल पश्चिम बंगाल का दत्तक ग्रहण	भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता शाखा	75.00	20.00	21.03	स्थल पर वास्तविक कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ।
19.	शोर मंदिर, महाबलीपुरम	19.4.2011	शोर मंदिर महाबलीपुरम में शौचालयों का निर्माण कार्य	भारतीय जहाज पत्तन निगम(शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया)	40.00	6.00	0.25	राष्ट्रीय संस्कृति निधि ने कहा कि कार्य शीघ्र ही समाप्त होने वाला है।

अनुबंध- 4.2

(मामला अध्ययन 5 के संदर्भ में)

संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान कोस मीनारों की स्थिति

क्र.स.	कोस मीनारों का नाम	स्थिति उप-परिमंडल/ परिमंडल	उप-परिमंडल पर उपलब्ध अधिसूचना की प्रति	उप-परिमंडल के पास स्थल के नक्शे की उपलब्धता	सुरक्षा सूचना पट्ट	सांस्कृतिक सूचना पट्ट	पहुँच मार्ग	अतिक्रमण	प्रतिबंधित/ नियमित क्षेत्र में निर्माण	2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत	2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत पर व्यय (राशि ₹ में)	रसायनिक उपचार की आवश्यकता
1.	कोस मीनार, चीमा कलाँ (जिला जालंधर)	नकोदर/चंडीगढ़	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	शून्य	हाँ
2.	कोस मीनार, बीर पिंड (जिला जालंधर)	नकोदर/चंडीगढ़	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	शून्य	हाँ
3.	कोस मीनार, नकोदर (जिला जालंधर)	नकोदर/चंडीगढ़	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हॉ	नहीं	शून्य	हाँ
4.	कोस मीनार, दक्षिणी जहांगीर (जिला जालंधर)	नकोदर/चंडीगढ़	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	शून्य	हाँ
5.	कोस मीनार, दक्षिणी धाड़ा खानपुर (जिला जालंधर)	नकोदर/चंडीगढ़	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	शून्य	हाँ

क्र.स.	कोस मीनारों का नाम	स्थिति उप-परिमंडल/ परिमंडल	उप-परिमंडल पर उपलब्ध अधिसूचना की प्रति	उप-परिमंडल के पास स्थल के नक्शे की उपलब्धता	सुरक्षा सूचना पट्ट	सांस्कृतिक सूचना पट्ट	पहुँच मार्ग	अतिक्रमण	प्रतिबंधित/ नियमित क्षेत्र में निर्माण	2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत	2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत पर व्यय (राशि ₹ में)	रसायनिक उपचार की आवश्यकता
6.	कोस मीनार, कोहंद (जिला करनाल)	थानेसर/चंडीगढ़	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	शून्य	नहीं
7.	कोस मीनार, घरौंदा दक्षिण (जिला करनाल)	थानेसर/चंडीगढ़	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	शून्य	नहीं
8.	कोस मीनार, घरौंदा उत्तर (जिला करनाल)	थानेसर/चंडीगढ़	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	शून्य	हाँ
9.	कोस मीनार, कुटैल (जिला करनाल)	थानेसर/चंडीगढ़	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	शून्य	हाँ
10.	कोस मीनार, तीरावारी उत्तर (जिला करनाल)	थानेसर/ चण्डीगढ़	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	शून्य	हाँ
11.	कोस मीनार, भेनी कलां (जिला करनाल)	थानेसर/चण्डीगढ़	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	3,36,507	नहीं
12.	कोस मीनार, दाहा (जिला करनाल)	थानेसर/ चण्डीगढ़	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	शून्य	हाँ

क्र.स.	कोस मीनारों का नाम	स्थिति उप-परिमंडल/ परिमंडल	उप-परिमंडल पर उपलब्ध अधिसूचना की प्रति	उप-परिमंडल के पास स्थल के नक्शे की उपलब्धता	सुरक्षा सूचना पट्ट	सांस्कृतिक सूचना पट्ट	पहुँच मार्ग	अतिक्रमण	प्रतिबंधित/ नियमित क्षेत्र में निर्माण	2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत	2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत पर व्यय (राशि ₹ में)	रसायनिक उपचार की आवश्यकता
13.	कोस मीनार, नमस्ते चौक, करनाल	थानेसर/ चण्डीगढ़	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	2,37,008	नहीं
14.	कोस मीनार, करनाल सिटी	थानेसर/ चण्डीगढ़	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	2,12,990	नहीं
15.	कोस मीनार, तीरावारी दक्षिण (जिला करनाल)	थानेसर/ चण्डीगढ़	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	शून्य	हाँ
16.	कोस मीनार सं. 11, मवई (फरीदाबाद)	नारनौल/ चण्डीगढ़	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	30,736	नहीं
17.	कोस मीनार, ख्वाजा सराय (फरीदाबाद)	नारनौल/ चण्डीगढ़	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	81,212	नहीं
18.	कोस मीनार सं. 18 अलापुर (जिला पलवल)	नारनौल/ चण्डीगढ़	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	97,513	नहीं
19.	कोस मीनार सं. 15 सीकरी (जिला पलवल)	नारनौल/ चण्डीगढ़	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	3,63,925	नहीं

क्र.स.	कोस मीनारों का नाम	स्थिति उप-परिमंडल/ परिमंडल	उप-परिमंडल पर उपलब्ध अधिसूचना की प्रति	उप-परिमंडल के पास स्थल के नक्शे की उपलब्धता	सुरक्षा सूचना पट्ट	सांस्कृतिक सूचना पट्ट	पहुँच मार्ग	अतिक्रमण	प्रतिबंधित/ नियमित क्षेत्र में निर्माण	2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत	2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत पर व्यय (राशि ₹ में)	रसायनिक उपचार की आवश्यकता
20.	कोस मीनार सं. 17 गुधपुरी (जिला पलवल)	नारनौल/ चण्डीगढ़	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	4,02,308	नहीं
21.	कोस मीनार सं. 19, (जिला-पलवल)	नारनौल/ चण्डीगढ़	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	3,23,106	नहीं
22.	कोस मीनार सं. 20, खुसरोपुर (जिला पलवल)	नारनौल/ चण्डीगढ़	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	3,62,265	नहीं
23.	कोस मीनार सं. 21, खेडा सराय (जिला पलवल)	नारनौल/ चण्डीगढ़	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	3,35,517	नहीं
24.	कोस मीनार सं. 22, औरंगाबाद (जिला पलवल)	नारनौल/ चण्डीगढ़	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	शून्य	नहीं
25.	कोस मीनार सं. 25, बनचारी (जिला पलवल)	नारनौल/ चण्डीगढ़	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	3,95,272	नहीं
26.	कोस मीनार सं. 24, बनचारी (जिला पलवल)	नारनौल/ चण्डीगढ़	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	शून्य	नहीं

क्र.स.	कोस मीनारों का नाम	स्थिति उप-परिमंडल/ परिमंडल	उप-परिमंडल पर उपलब्ध अधिसूचना की प्रति	उप-परिमंडल के पास स्थल के नक्शे की उपलब्धता	सुरक्षा सूचना पट्ट	सांस्कृतिक सूचना पट्ट	पहुँच मार्ग	अतिक्रमण	प्रतिबंधित/ नियमित क्षेत्र में निर्माण	2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत	2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत पर व्यय (राशि ₹ में)	रसायनिक उपचार की आवश्यकता
27.	कोस मीनार सं. 23, खटेला (जिला पलवल)	नारनौल/ चण्डीगढ़	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	शून्य	नहीं
28.	कोस मीनार सं. 16, गुधपुरी (जिला पलवल)	नारनौल/ चण्डीगढ़	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	4,41,454	नहीं
29.	कोस मीनार सं. 27, भुलवाना (जिला पलवल)	नारनौल/ चण्डीगढ़	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	शून्य	नहीं
30.	कोस मीनार सं. 26, होडल (जिला पलवल)	नारनौल/ चण्डीगढ़	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	शून्य	नहीं
31.	कोस मीनार, मथुरा-दिल्ली मार्ग, मथुरा की सीमा से 3 मील, 5.175 फर्लांग	मथुरा-दिल्ली मार्ग	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	शून्य	हाँ
32.	कोस मीनार या मुगल माइल	चिड़ियाघर दिल्ली	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	शून्य	हाँ

क्र.स.	कोस मीनारों का नाम	स्थिति उप-परिमंडल/ परिमंडल	उप-परिमंडल पर उपलब्ध अधिसूचना की प्रति	उप-परिमंडल के पास स्थल के नक्शे की उपलब्धता	सुरक्षा सूचना पट्ट	सांस्कृतिक सूचना पट्ट	पहुँच मार्ग	अतिक्रमण	प्रतिबंधित/ नियमित क्षेत्र में निर्माण	2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत	2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत पर व्यय (राशि ₹ में)	रसायनिक उपचार की आवश्यकता
	स्टोन, दिल्ली											
33.	कोस मीनार, सम्राट अकबर द्वारा निर्मित	अजमेर-जयपुर मार्ग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	शून्य	हाँ
34.	कोस मीनार, सम्राट अकबर द्वारा निर्मित	अजमेर-जयपुर मार्ग	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	41,786	हाँ
35.	कोस मीनार, सम्राट अकबर द्वारा निर्मित	चुगरा, अजमेर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	शून्य	हाँ
36.	कोस मीनार, सम्राट अकबर द्वारा निर्मित	कैर, अजमेर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	17,567	हाँ
37.	कोस मीनार, सम्राट अकबर द्वारा निर्मित	छत्री, अजमेर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	शून्य	हाँ
38.	कोस मीनार, सम्राट अकबर द्वारा निर्मित	खानपुर, अजमेर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	शून्य	हाँ

क्र.स.	कोस मीनारों का नाम	स्थिति उप-परिमंडल/ परिमंडल	उप-परिमंडल पर उपलब्ध अधिसूचना की प्रति	उप-परिमंडल के पास स्थल के नक्शे की उपलब्धता	सुरक्षा सूचना पट्ट	सांस्कृतिक सूचना पट्ट	पहुँच मार्ग	अतिक्रमण	प्रतिबंधित/ नियमित क्षेत्र में निर्माण	2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत	2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत पर व्यय (राशि ₹ में)	रसायनिक उपचार की आवश्यकता
39.	कोस मीनार, सम्राट अकबर द्वारा निर्मित	होशियारा, अजमेर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	शून्य	हाँ
40.	कोस मीनार, सम्राट अकबर द्वारा निर्मित	होशियारा, अजमेर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	शून्य	हाँ

अनुबंध 5.1

(पैरा 5.4.1 के संदर्भ में)

प्रस्तावित खुदाई स्थलों की तालिका जिसके संदर्भ में सिफारिश न किए जाने का कोई कारण नहीं दिया गया है।

क्र.सं.	स्थल का नाम	कार्यालय	निदेशक	कार्य का प्रकार
1.	भीमबेटका शैल चित्रकारी जिला रायसेन, मध्य प्रदेश	प्राक-इतिहास शाखा नागपुर	डी. भेंगरा	अन्वेषण
2.	मेलघाट क्षेत्र, जिला-अमरावती, महाराष्ट्र	प्रागैतिहास शाखा नागपुर	निदेशक डी. भेंगरा	अन्वेषण
3.	वैश्या टेकरी, जिला-उज्जैन, मध्य प्रदेश	भोपाल परिमंडल	के.के.मुहम्मद	उत्खनन
4.	जिला भिवानी में अन्वेषण, हरियाणा	चंडीगढ़ परिमंडल	के.पी. एस. भदूरिया	अन्वेषण
5.	फिरोजपुर झिरका तहसील में मेवात क्षेत्र, जि. गुडगाँवा में अन्वेषण	चंडीगढ़ परिमंडल	के.पी. एस. भदूरिया	अन्वेषण
6.	असंध, जिला करनाल हरियाणा में स्तूप उत्खनन (1/10/2/2007-ई.ई.)	चंडीगढ़ परिमंडल	के.पी. एस. भदूरिया	उत्खनन
7.	गोपाकापट्म उत्तरी गोवा में प्रारंभिक संयुक्त खोज और ट्रायल ट्रेंचेज	गोवा परिमंडल	एन तालेर	अन्वेषण/खुदाई
8.	कायावरोहन, जिला बड़ोदरा गुजरात में उत्खनन	बड़ोदरा परिमंडल	शिवनन्दा वी	उत्खनन
9.	खान मस्जिद ढोलका, अहमदाबाद के सामने उत्खनन	बडौदरा परिमंडल	शिवनन्दा वी	उत्खनन
10.	विद्याधरपुर,तहसील कटक सदर, जिला कटक, ओड़िशा	ओड़िशा राज्य संग्रहालय, भुवनेश्वर ओड़िशा	सी.वी. पटेल	उत्खनन
11.	नरसिंहपुर और आसपास के इलाके, जिला कटक ओड़शा	ओड़िशा राज्य संग्रहालय, भुवनेश्वर ओड़िशा	सी.बी. पटेल	उत्खनन
12.	पंचगाव, पुराना शहर भुवनेश्वर जि. खुर्दा ओड़िशा	उड़ीसा राज्य संग्रहालय, भुवनेश्वर ओड़िशा	सी.बी. पटेल	उत्खनन
13.	डोयलोपार ढाका बीचकन्ड़ी मौजा बीचकन्ड़ी, जे.एल.नं. 125, जी.पी. सबलपुर, ब्लाक -ग्रामसलिका,पी.एस. वर्वान (मुर्शिदाबाद) पश्चिम बंगाल	निदेशक, पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय, पश्चिम बंगाल	अमल रॉय	उत्खनन
14.	खारीहाट, बेलन घाटी, मिर्जापुर, जिला, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद ईकाई	प्रकाश सिन्हा	उत्खनन
15.	चतुर्भुज नाला गाँधीसागर खेल अभयारण्य में, भानपुरा, मंदसौर, मध्य प्रदेश	भारत का शैल समाज, आगरा	गिरिराज कुमार	उत्खनन

क्र.सं.	स्थल का नाम	कार्यालय	निदेशक	कार्य का प्रकार
16.	साबरमती नदी घाटी, जिला आनंद, खेडा, अहमदाबाद, गॉधीनगर, मेहसाना और साबरकंठा गुजरात में	उत्खनन शाखा-V	एस एन केसरवानी	उत्खनन
17.	बीबी का मकबरा, औरंगाबाद के सामने के क्षेत्र की उत्खनन	उत्खनन शाखा-V	के.वीरभद्र राव	उत्खनन
18.	भीटा जिला, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	लखनऊ मंडल लखनऊ	आई.डी. द्विवेदी	उत्खनन
19.	इरीक जिला झाँसी, उत्तर प्रदेश	लखनऊ मंडल लखनऊ	आई.डी. द्विवेदी	उत्खनन
20.	उत्तर प्रदेश में घाघरा मैदानों के पार खोज, साथ में परीक्षण खाईयाँ एवं क्षेत्र की घिंसाई	लखनऊ परिमंडल लखनऊ	- - -	उत्खनन/अन्वेषण
21.	रूआम जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड	लखनऊ परिमंडल लखनऊ	टी.जे. वैद्या	उत्खनन
22.	कबराकाला, जिला पलामू, झारखंड	लखनऊ परिमंडल लखनऊ	टी.जे. वैद्या	उत्खनन
23.	कुन्नात्तूर जिला तिरूनेलवेली, तमिलनाडू	त्रिसूर परिमंडल	एन. नम्बीराजन	उत्खनन
24.	फनीगिरी (वी.) तिरूमलगिरी (एम.) नालगोंडा जिला	पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, हैदराबाद	जी.वी. रामाकृष्णाराव	उत्खनन
25.	जगथीपाडू (वी.) पोलाकी (एम.)श्री काकुलम जिला	पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग	- - -	उत्खनन
26.	मानिकेश्वरम (वी.)अडक्की (एम.)प्रकाशम जिला	पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग	- - -	उत्खनन
27.	गाँव उदयपुर, विधुना जिला औरैया	पुरातत्व विभाग, उत्तर प्रदेश	आर.के.श्रीवास्तव	उत्खनन
28.	मऊ जिला बाँदा, उत्तर प्रदेश में अन्वेषण	पुरातत्व विभाग	राम नरेश पाल	अन्वेषण
29.	बलम, बाद्यादा, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	पुरातत्व विभाग	जे.एन. पाण्डेय	उत्खनन
30.	हेतापट्टी, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	पुरातत्व विभाग	जे.एन.पाल	उत्खनन
31.	तुर्की बुर्ज गाँव कोरी, पोझा और मुर्गिया, जिला, वैशाली, बिहार के आसपास के क्षेत्रों में अन्वेषण	बिहार पुराविद् परिषद पटना	सी.पी.सिन्हा	अन्वेषण
32.	सभी नौ बौद्ध स्थलों (नवली-देवलीपल, कायामा, तारापुर, काँटीगड़िया, वज्रगिरी, नेवलपुर और काँकी (राधानगर किला) पर अन्वेषण एवं उत्खनन	ओड़िशा समुद्री संस्थान और दक्षिण-पूर्वी एशिया अध्ययन, भुवनेश्वर, ओड़िशा	डी.आर. प्रधान	अन्वेषण एवं उत्खनन

अनुबंध 5.2

(पैरा 5.8.1 के संदर्भ में)

लंबित खुदाई प्रतिवेदनों की तालिका
कार्यरत अधिकारियों द्वारा बड़े स्तर पर उत्खनन

क्र.सं.	उत्खनन का स्थान एवं समय	उत्खनन के निदेशक	जवाबदेह पुरातत्वविद	महीना/वर्ष जब पहली बार कार्य को आबंटित किया गया था	कार्य को दुबारा आबंटित किया गया
1.	चिचाली, जिला उत्तरी निमार 1998-99, 1999-2000	एस.के.मित्रा, अ.पु.	एस.के.मित्रा, एस.ए. उत्खनन शाखा-I, नागपुर	अप्रैल 2005	अगस्त 2010
2.	हम्पी, जिला बेल्लारी, कर्नाटक, 1975-76, 76-77, 78-79, से 2000-01	एस.आर.राव	के.पी. पुनाचा, संयुक्त महानिदेशक (सेवानिवृत्त)	अप्रैल 2005	दिसम्बर 2009
3.	मथुरा, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश 1954-55, 73-74 से 1976-77	एम. वेंकटरमय्या	ए.के.सिन्हा, निदेशक (रा.सां.नि.)	मार्च 2006	अगस्त 2010
4.	श्रावस्ती, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश, 1958-59, 1986-97, 1998-99, 2000-01, 2001-02	के.के. सिन्हा	नीरज कुमार सिन्हा, ए.ए., राँची परिमंडल	अप्रैल 2005	

कार्यरत अधिकारियों द्वारा छोटे स्तर पर खुदाई

क्र.सं.	स्थल, उत्खनन पूर्ण होने की तारीख और उत्खनन का कार्य समय	उत्खनन निदेशक	जवाबदेह पुरातत्वविद्	कार्य आबंटन की तारीख	आबंटन तारीख
1.	बाराबती किला, जिला कटक, ओड़िशा 1989-90 से 96-97	बी.के. सिन्हा	के.पी.राव अ.पु. हैदराबाद परिमंडल	जून 2005	दिसम्बर 2010
2	दौलताबाद, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र 1984-85, 85-86, 87-88, 88-89, 2004-05, 05-06	सी.एल.सूरी	एस.के. मित्रा अ.पु. उत्खनन शाखा-I नागपुर	जून 2005	मार्च 2011
3	फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश 1976-77 से 79-80,82-83 से 88-89	जे.पी. श्रीवास्तव	के.पी. पुनाचा, संयुक्त महानिदेशक (सेवानिवृत्त), पुनः आबंटन, श्री जे.पी. श्रीवास्तव, अधीक्षक पुरातत्वविद् (सेवानिवृत्त)	जून 2005	अप्रैल 2010
4	काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तरांचल 1965-66,1970-71,2001-03	वाई. डी. शर्मा	डी.वी. शर्मा क्षेत्रीय निदेशक, कोलकाता।	जून 2005	फरवरी 2010
5	केसरिया, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार, 1997-98 से 2000-01	के.के. मोहम्मद	के.के. मुहम्मद अ.पु. दिल्ली परिमंडल	अक्तूबर 2005	फरवरी 2010
6	कोल्हुआ, जिला मुजफ्फरपुर बिहार 1976-77, 89-90 से 93-94,95-96 to 98-99	विजयकान्त मिश्रा	के.के. मोहम्मद, एस.ए. दल्ली परिमंडल (पुर्नाबंटन अरिवंद मंजुल, उप अ.पु. पटना, उत्खनन शाखा)	अक्तूबर 2005	मई 2011
7	कुन्नात्तूर जिला काँचीपुरम, तमिलनाडु 1956-57,57-58	वी.डी. कृष्णास्वामी	सत्यभामा बद्रीनाथ अ.पु. चेन्नई परिमंडल		नये सिरे से खुदाई के लिए वर्ष 2010 में खुदाई शाखा-VI मैसूर की तरफ से पहल

क्र.सं.	स्थल, उत्खनन पूर्ण होने की तारीख और उत्खनन का कार्य समय	उत्खनन निदेशक	जवाबदेह पुरातत्वविद्	कार्य आबंटन की तारीख	आबंटन तारीख
8	मदरपुर, जिला-मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, 2000-01	डी.वी. शर्मा	डी.वी. शर्मा, क्षेत्रीय निदेशक, कोलकाता		जनवरी 2010
9	नालंदा जिला बिहार शरीफ, बिहार 1975-76 से 1979-80, 1981-83	विजयकांत मिश्र	के.के. मोहम्मद अ.पु., दिल्ली सर्कल	अक्तूबर 2005	नए उत्खनन के लिए कार्य 2010 में शुरू किया गया।
10	पैठन, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र 1997-98, 98-99	जे.वी.पी. राव	जे.वी.पी. राव, (अब दिवंगत अतः प्रतिवेदन डा. डेरेक केनेट द्वारा प्रस्तुत किया गया)।	जनवरी 2005	जनवरी 2007 पुनःआवंटित तारीख मार्च 2010
11	राजगीर,जिला बिहार शरीफ, बिहार 1953-54,54-55,57-58,58-59,61-62,62-63,74-75,99-00,00-01	डी.आर. पाटिल	के.के. मोहम्मद अ.पु., दिल्ली परिमंडल।	अक्तूबर 2005	मार्च 2010
12	राजपत खालसा, जिला कूच बिहार, प.बंगाल 1998-99 से 1999-2000	एस.बी. ओटा	एस.बी.ओटा, क्षेत्रीय निदेशक, भोपाल	जून 2006	दिसम्बर 2009
13	संकिसा, जिला फर्रूखाबाद, उत्तर प्रदेश, 1995-96,96-97	बी.आर.मणि	बी.आर.मणि, संयुक्त महानिदेशक	जनवरी 2005	मार्च 2010
14	सीमाथन, जिला अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर 1977-78,78-79,80-81	एच.के. नारायण	जी.एस.गौर, स.अ.पु. जम्मू परिमंडल	अप्रैल 2005	दिसम्बर 2009
15	सीसानिया, जिला-बस्ती, उत्तर प्रदेश 1995-96,96-97	बी.आर.मणि	बी.आर. मणि, संयुक्त महानिदेशक	जनवरी 2005	

सेवा निवृत्त अधिकारियों द्वारा वृहत स्तर पर उत्खनन

क्र.सं.	स्थल, उत्खनन की अवधि	उत्खनन निदेशक	उत्खनन निदेशक/रिपोर्टिंग पुरातत्वविद्	आबंटित/ पुनःआवंटित तिथि
1	रामापुरम, जिला- कुर्नुल, आंध्रप्रदेश 1980-81 से 1983-84	बी. नरसिम्हय्या	स्वर्गीय डॉ. बी. नरसिम्हय्या (पुनः आवंटित डॉ. के. इस्माईल)	पुनःआवंटित तिथि जनवरी 2011
2	धौलावीरा, जिला- कच्छ, गुजरात	आर.एस.बिष्ट	आर.एस.बिष्ट, (सेवानिवृत्त)	पुनःआवंटित तिथि दिसंबर, 2009
3	बाणावली,जिला- फतेहाबाद, हरियाणा, 1983-84 से 86-87	आर.एस.बिष्ट,	आर.एस.बिष्ट, (सेवानिवृत्त)	अगस्त 2011
4	हर्ष- का-टीला, धानेसर, जिला- कुरूक्षेत्र, हरियाणा 1987-88, 89-90	बी.एम. पाण्डेय	बी.एम. पाण्डेय (सेवानिवृत्त)	जनवरी 2010
5	बुर्जहोम, जिला- श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर 1960-61 से 68-69, 71-72,73-74	टी.एन. खजांची	यह कार्य डॉ. आर.एस. फोनिया, निदेशक स्मारकों और पुरावस्तुओं पर राष्ट्रीय मिशन को पुनआर्बंटित किया गया।	जून 2009
6	बाणाहल्ली, जिला- कोलार, कर्नाटक, 1973-74,83-84,85-86,86-87	एस.बी. सुदर्राजन	स्वर्गीय डॉ. बी. नरसिम्हय्या, (पुनःआवंटित श्री पी.एस. श्रीरमन, किला संग्राहल, चेन्नई परिमण्डल	मई 2010
7	संघोल, जिला- लुधियाना, पंजाब 1986-87 से 1990-91	सी. मार्गबन्धु	सी. मार्गबन्धु (सेवानिवृत्त)	सितम्बर 2010
8	अयोध्या, जिला- फैजाबाद एवं भारद्वाज आश्रम, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	बी.बी.लाल	बी.बी. लाल (सेवानिवृत्त)	

क्र.सं.	स्थल, उत्खनन की अवधि	उत्खनन निदेशक	उत्खनन निदेशक/रिपोर्टिंग पुरातत्वविद्	आबंटित/ पुनःआवंटित तिथि
9	हुलास, जिला- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश 1978-79 से 1982-83	के.एन. दीक्षित	के.एन. दीक्षित (सेवानिवृत्त)	सितम्बर, 2009 (पुनआर्बंटित तिथि मई, 2010)
10	राखीगढ़ी, जिला- हिसार, हरियाणा 1997-98 से 1999-2000	अमरेन्द्र नाथ	अमरेन्द्र नाथ (सेवानिवृत्त)	अप्रैल, 2008 (पुनआर्बंटित तिथि दिसम्बर, 2010)

सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा लघु स्तर पर उत्खनन

क्र.सं.	स्थल, उत्खनन की अवधि	उत्खनन निदेशक	उत्खनन निदेशक/रिपोर्टिंग पुरातत्वविद्	अवंटित तिथि
1	रोपड़, जिला- अम्बाला, पंजाब 1953-54 एवं 54-55	वाई.डी. शर्मा	के.एन. दीक्षित (सेवानिवृत्त)	मई 2010
2	मानसर, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र, 1994-95,95-96	अमरेन्द्र नाथ	अमरेन्द्र नाथ (सेवानिवृत्त)	अप्रैल, 2008 पुनआर्बंटित तिथि (सितम्बर 2010)

प्रस्तुत प्रतिवेदनों के मामले
वृहत्त स्तर उत्खनन

क्र.सं.	स्थल, उत्खनन पूर्ण होने की तारीख, उत्खनन अवधि	रिपोर्टिंग पुरातत्वविद्	कार्य आबंटन तिथि	स्थिति
1	सतधारा, जिला- रायसेन, 1993-94,95-96 से 97-98,99-00	नारायण व्यास,अ.पु.., मंदिर सर्वेक्षण परियोजना (उत्तर)	जून 2005	प्रतिवेदन मार्च 2008 में प्रस्तुत
2	उदयगिरी, जिला- जयपुर, ओड़िशा 1985-86,86-87,87-88,88-89,97-98 से 2001-02	बी. बन्दोपाध्याय, अ.पु.., कोलकाता परिमण्डल	अप्रैल 2005	प्रतिवेदन प्रसतुत एवं प्रकाशित 2007 में।
3	ललितगिरी, जिला- कटक, ओड़िशा 1985-86 से 1990-91	जे.के. पटनायक, अ.पु. कोणार्क संग्रहालय।	अप्रैल 2005	फरवरी 2010 में प्रतिवेदन प्रस्तुत।

प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के मामलों की सूची
लघु स्तर उत्खनन

क्र.सं.	स्थल, उत्खनन पूर्ण होने की तिथि, उत्खनन की अवधि	रिपोर्टिंग पुरातत्वविद्	कार्य आबंटन तिथि	लंबित रहने का कारण
1.	श्री सूर्यपहाड़, जिला- गोलपारा, असम 1992-93, 93-94, 95-96से 2000-01	जितेन्द्र दास, अ.पु., हैदराबाद परिमण्डल।	अप्रैल 2005	प्रतिवेदन मार्च 2009 में प्रस्तुत
2.	लाल कोट एवं किला राय पिथौरा, दिल्ली 1957-58, 58-59, 59-60, 64-65, 91-92 से 94-95	बी.आर. मणि, संयुक्त महानिदेशक	जनवरी 2005	प्रतिवेदन मई 2007 में प्रस्तुत
3.	चंदौर, जिला-दक्षिण गोवा, गोवा 1999-91, 2000-01, 01-02	जे.वी.पी. राव (दिवंगत)	जून 2004	प्रतिवेदन प्रस्तुत
4.	हाथब, जिला- भावनगर, 2001-02, 02-03	शुभ्रा प्रमाणिक, अ.पु., रा.स्मा.पु.मि.	अप्रैल 2005	मई 2007 में प्रतिवेदन प्रस्तुत
5.	लचूरा, जिला- भीलवाड़ा, राजस्थान, 1997-98, 98-99	बी.आर. मीणा, अ.पु. (बी.एस.पी.) दिल्ली		मई 2007 में प्रतिवेदन प्रस्तुत
6.	कानागणाहल्ली, जिला- गुलवर्ग, 1993-94, 96-97, 97-98, 99-00, 00-01, 01-02	के.पी. पुनाचा, निदेशक (संग्रहालय एवं पुरावस्तुएँ)	जून 2005	मई 2010 में प्रतिवेदन प्रस्तुत
7.	बेकल फोर्ट, जिला- कसरगोड़े, 1997-98 से 2001-02	नाम्बिराजन, त्रिसूर परिमण्डल,	अक्तूबर 2006	प्रतिवेदन प्रस्तुत और 2009 में प्रकाशित
8.	बेसनगर, जिला- विदिशा, मध्यप्रदेश 1963-64 से 1965-66, 1975-76, 76-77	नारायण ब्यास, अ.पु., मंदिर सर्वेक्षण परियोजना (उत्तरी)	जून 2005	मार्च 2009 में प्रतिवेदन प्रस्तुत
9.	खजुराहो, जिला- छत्तरपुर, 1980-81, 81-82, 82-83, 85-86 से 88-89	पी.के. मिश्रा, अ.पु. पटना परिमण्डल	जून 2005	मई 2010 में प्रतिवेदन प्रस्तुत

क्र.सं.	स्थल, उत्खनन पूर्ण होने की तिथि, उत्खनन की अवधि	रिपोर्टिंग पुरातत्वविद्	कार्य आबंटन तिथि	लंबित रहने का कारण
10	मामल्लपुरम, जिला-काँचीपुरम, तमिलनाडु, 1990-2000 से 2000-01	के.टी. नरसिम्हा, अ.पु., (अब सेवानिवृत्त)		जनवरी 2006 में प्रतिवेदन प्रस्तुत
11.	सांची, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश 1993-94, 95-96 से 97-98, 99-00	ए.के. सिन्हा, अ.पु., स्मारक तथा श्री एस.वी.ओटा, अ.पु. राष्ट्रीय मिशन	अप्रैल 2005	कार्य को श्री नारायण व्यास, स.अ. मंदिर सर्वेक्षण परियोजना, उत्तर को पुनः सौंपा गया है तथा रिपोर्ट 2008 में पुस्तुत की।
12	गोलबई ससन, गोलबई, जिला पुरी, ओडिशा 1990-91 से 91-92	ए.के. पटेल, उप. स.अ., रायपुर परिमण्डल	सितम्बर 2006	रिपोर्ट दिसम्बर 2007 में प्रस्तुत की गई है।
13	धालेवन, जिला मान्सा, पंजाब 1999-2000,01-02	मधुबाला, अ.पु. उत्खनन शाखा-II	अप्रैल 2005	रिपोर्ट मार्च 2011 में प्रस्तुत की गई है
14	ओजियाना, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान 1999-2000 से 2000-01	बी.आर मीना, अ.पु. तथा डॉ. अलोक त्रिपाठी	जनवरी 2005	रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
15	गुदीयाम, जिला त्रिस्खल्लौर 1962-63, 63-64	एस.बी. ओटा, निदेशक, राष्ट्रीय मिशन	अगस्त 2006	रिपोर्ट अगस्त 2008 में प्रस्तुत की गई है
16	बोक्सानर, जिला पश्चिम त्रिपुरा 2001-02	जमाल हसन, अ.पु. देहरादून परिमण्डल	जून 2005	रिपोर्ट अगस्त 2008 में प्रस्तुत की गई है
17	भीता, जिला इलाहबाद, उत्तर प्रदेश 1995-96, 1996-97, 97-98	फरवरी 2007 में श्री इंदुप्रकाश, स.अ.पु. तथा ए.ए. हाश्मी स.पु. लखनऊ परिमण्डल	जून 2005	रिपोर्ट जुलाई 2009 में प्रस्तुत की गई है
18	भीग्राबील्ली टीला, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश 1999-2000	डी.वी. शर्मा, अ.पु., दिल्ली परिमण्डल	जनवरी 2005	रिपोर्ट मई 2008 में प्रस्तुत की गई है
19	तमलूक, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल 1954-55, 73-74	एस.बी. ओटा, निदेशक, राष्ट्रीय मिशन	अगस्त 2006	रिपोर्ट जून 2008 में प्रस्तुत की गई है

क्र.सं.	स्थल, उत्खनन पूर्ण होने की तिथि, उत्खनन की अवधि	रिपोर्टिंग पुरातत्वविद्	कार्य आबंटन तिथि	लंबित रहने का कारण
20	श्यामसुदंर टीला, जिला दक्षिण त्रिपुरा 1984-85, 98-99 से 2000-01	जी.सी. चौले, (सेवानिवृत्त)		रिपोर्ट दिसम्बर 2005 में प्रस्तुत की गई है
21	ठकरानी टिला, पश्चिम पिलाक, जिला दक्षिण त्रिपुरा	जी.सी. चौले, (सेवानिवृत्त)		रिपोर्ट 2005 में प्रस्तुत की गई है
22	गुफकराल, जिला पुलवामा, जम्मू एवं कश्मीर 1981-82	ए.के शर्मा (सेवानिवृत्त)		रिपोर्ट अक्तूबर 2008 में प्रस्तुत की गई है

अनुबंध5.3

(पैरा 5.8.1 के संदर्भ में)

मामलों की सूची जहाँ उत्खनन/अन्वेषण रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं

फील्ड सत्र 2007-08

क्र.सं.	स्थल का नाम	कार्यालय	निदेशक	कार्य की प्रकृति	रिपोर्ट की स्थिति
1.	बाराबात्ती किला, जिला कटक ओडिशा	का. शाखा IV, भुवनेश्वर	पी.के. त्रिवेदी	उत्खनन	रिपोर्ट प्रस्तुत की गई
2.	कौशांबी से कपिलवस्तु तक अन्वेषण सहित परीक्षण खाई एवं परिच्छेद घिसाई	लखनऊ परिमण्डल	आई.डी. द्विवेदी	अन्वेषण	रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

फील्ड सत्र 2008-09

1.	**सैरंग लुल, त्वांग/धलेश्वरी नदी की उपनदी, जिला लुशई हिल्स, मिजोरम में अन्वेषण (1/14/2008-ई.ई.)**	**पूर्व-ऐतिहासिक, शाखा नागपुर**	**डी. भेंगरा**	**अन्वेषण**	**रिपोर्ट प्रस्तुत की गई**
	कौशाम्बी से कपिलवस्तु, जिला कौशाम्ब, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुलतानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, संतकबीर नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, उ.प्र. तक तीर्थ यात्रा मार्ग स्थापित करने हेतु पुरातात्विक अन्वेषण	लखनऊ परिमण्डल	आई.डी. द्विवेदी	अन्वेषण	रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

फील्ड सत्र 2009-10

क्र.स.	प्रस्ताव	कार्यालय	निदेशक	कार्य की प्रकृति	अभ्युक्तियां
1.	बानगढ़, गंगारामपुर, जिला दक्षिण दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल में उत्खनन	कोलकाता परिमण्डल	टी.जे. वैद्या	उत्खनन	रिपोर्ट प्रस्तुत
2.	लाथिया, जमनिया के निकट, जिला गाजीपुर, उ.प्र. में उत्खनन	का. शाखा III, पटना	बी.आर. मणि	उत्खनन	रिपोर्ट भा.पु.प्र. में प्रकाशित
3.	सेंगाल्लुर एवं वदाकीपट्टी मनप्पारी, त्रिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु	टी.एस.पी. (एस.आर.) चेन्नइ	डी.दयालन	उत्खनन	रिपोर्ट प्रस्तुत

क्र.स.	प्रस्ताव	कार्यालय	निदेशक	कार्य की प्रकृति	अभ्युक्तियां
4	कौशाम्बी से कपिलवस्तु तक तीर्थ यात्रा मार्ग स्थापित करने हेतु अन्वेषण सहित जिलें कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रतापगढ, सुलतानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, (उ.प्र.) में परीक्षण परिच्छेद घिसाई/खाई की खुदाई	लखनऊ परिमण्डल	आई.डी. द्विवेदी	अन्वेषण	रिपोर्ट प्रस्तुत
5	बांकी से सोनपुर, ओड़िशा में मध्य महानदी घाटी के दाहिने किनारे में अन्वेषण	का. शाखा IV, भुवनेश्वर	जी. महेश्वरी	अन्वेषण	रिपोर्ट प्रस्तुत
6	कदवाह, जिला अशोक नगर, मध्य प्रदेश का अन्वेषण	टी.एस.पी. भोपाल	के. लॉर्दूस्वामी	अन्वेषण	रिपोर्ट प्रस्तुत
7	पूर्व पांड्यों. मुत्तरयारों, इरूक्कवेलों, पांड्यों के अंतर्गत अन्य जागीरदारों एवं सरदारों के गुफा मंदिरों का सर्वेक्षण	टी.एस.पी. चैन्नई	डी.दयालन	पुरातात्विक सर्वेक्षण	रिपोर्ट प्रस्तुत

फील्ड सत्र 2010-11

क्र.सं.	प्रस्ताव	कार्यालय	निदेशक	कार्य की प्रकृति	अभ्युक्तियाँ
1.	बानगढ, गंगारामपुर, जिला दक्षिण दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल में उत्खनन (1/45/2/2005-ई.ई.)	कोलकाता परिमण्डल	टी.जे. वैद्या	उत्खनन	रिपोर्ट प्रस्तुत
2.	बांकी से सोनपुर, ओड़िशा में मध्य महानदी घाटी के दहिने किनारे में अन्वेषण	का. शाखा IV, भुवनेश्वर	जी. महेश्वरी	अन्वेषण	रिपोर्ट प्रस्तुत

अनुबन्ध 6.1
(पैरा 6.5.1 के संदर्भ में)

परिग्रहण रजिस्टर को बनाये रखने के तरीके

क्र.सं.	संग्रहालय का नाम	परिग्रहण रजिस्टर के प्रबंधन की प्रणाली
1.	राष्ट्रीय संग्रहालय	केन्द्रीय परिग्रहण रजिस्टर के साथ-साथ विभिन्न खण्डों एवं वस्तुओं के रजिस्टरों को बनाना। परिग्रहण रजिस्टर उचित ढंग से नहीं बनाये गये थे। पाण्डुलिपि अनुभाग के परिग्रहण रजिस्टर में असंगतियाँ देखी गई जिसके कारण वर्तमान पदधारी द्वारा मार्च 2008 में सेवानिवृत्त हुए क्यूरेटर से प्रभार ग्रहण नहीं किया गया।
2.	भारतीय संग्रहालय	परिग्रहण रजिस्टर को मद-वार/खण्ड-वार तथा केन्द्रीकृत परिग्रहण रजिस्टर के अनुसार बनाना। परिग्रहण रजिस्टर पूर्ण नहीं थे। कई मामलों में आयु का विवरण और वस्तुओं की स्थिति तथा उनकी दशाओं का विवरण लिपिबद्ध नहीं था। कहीं-कहीं परिग्रहण रजिस्टर में क्रमांक नहीं लिखे थे जिससे यह निर्धारण करने में कठिनाई हुई कि उस संग्रहालय के संग्रह में कुल कितनी वस्तुएँ थी। किसी भी वस्तु के लिए अनन्य संस्था नियत नहीं हुई थी। विभिन्न अनुभागों के अपने स्वयं की परिग्रहण संख्यायें होने के कारण संख्याओं में पुनरावृत्ति हुई है।
3.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल	केन्द्रीकृत परिग्रहण रजिस्टर के साथ-साथ विभिन्न खण्डों/मदों के लिए अलग रजिस्टर बनाना। 5000 वस्तुएँ रवीन्द्र भारती संस्था से सन् 2011 के दौरान स्थायी ऋण के रूप में ली गई था जिन्हें अभी तक परिग्रहीत नहीं किया गया यद्यपि इसे 31 मार्च 2011 तक पूरा करना था।
4.	एशियाटिक सोसाईटी, कोलकाता	मद-वार/खण्ड-वार परिग्रहण रजिस्टर को बनाना तथा केन्द्रीकृत परिग्रहण रजिस्टर को नहीं। कई वस्तुएँ प्राप्ति के पश्चात् भी लम्बे समय तक संबंधित रजिस्टर या डाटाबेस में परिग्रहण के लिए लंबित थीं, जैसे 55 वस्तुएँ जिसमें से 19 पाण्डुलिपियाँ हैं जो भंडार रजिस्टर में पाई गई, परिग्रहीत किए जाने के लिए लंबित थीं। ये वस्तुएँ 2009 के दौरान एशियाटिक सोसाईटी की अलमारी में पाई गई थीं और कहीं भी अभिलिखित नहीं थीं। कुल 54655 कला वस्तुओं में से 15205 वस्तुएँ (28 *प्रतिशत*) परिग्रहित नहीं थीं।
5.	इलाहाबाद संग्रहालय	कुल 70121 वस्तुओं में से 34000 वस्तुएँ (48 *प्रतिशत*) परिग्रहित नहीं थीं।

अनुबन्ध 6.2
(पैरा 6.7 के संदर्भ में)

कलाकृतियों के भौतिक सत्यापन का विवरण

भारतीय संग्रहालय	**इस संग्रहालय का भौतिक सत्यापन सन् 2005 में शुरू हुआ था। समय सीमा कई बार बढ़ाई गई और वर्तमान में यह अक्तूबर 2013 तक बढ़ाई गई है। लेकिन यह पाया गया कि केवल 38 प्रतिशत कला वस्तुएँ ही मार्च 2012 तक प्रमाणित की गई थी।**
राष्ट्रीय संग्रहालय	राष्ट्रीय संग्रहालय का अंतिम भौतिक सत्यापन, विशेषज्ञ समिति द्वारा 1998 से 2003 के दौरान किया गया था और न्यायालय के आदेशों के निर्देशानुसार यह प्रतिवेदन 2004 में सौंपा गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा कई कमियाँ इंगित की गई। सन् 2003 के बाद कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।
एशियाटिक सोसाईटी कोलकाता	केवल दुर्लभ चाँदी और तांबे के सिक्कों को छोड़कर, सभी वस्तुएँ प्रमाणित की गई। ऐसे सिक्कों की निश्चित संख्या की जानकारी संस्था को नहीं थी क्योंकि ऐसे सिक्कों को न तो कभी गिना गया और न ही इसका भौतिक सत्यापन किया गया।
विक्टोरिया मेमोरियल हॉल	सामान्यतया प्रमाणीकरण के लिए विशेषज्ञ समितियाँ वस्तुओं के प्रमाणिकता, शुद्धता और अन्य पहलू जो आरोप्य हों की पुष्टि करते हैं। लेकिन कुल 28394 कला वस्तुओं में से 18979 वस्तुएँ पुरातन और सही मूल्य के संदर्भ में अभी भी अप्रमाणित थीं।
राष्ट्रीय संग्रहालय	पाण्डुलिपि अनुभाग के पास 14143 पाण्डुलिपियों के संग्रह थे (8718 अरबी एवं फारसी के तथा 5425 संस्कृत के)। हमने पाण्डुलिपियों का यादृच्छिक रूप से चयन कर प्रत्यक्ष सत्यापन किया, और पाया कि पाण्डुलिपियों की जो संख्या रजिस्टर में अंकित थी और जो वास्तव में विद्यमान थी उन में बहुत अन्तर था।
कार्यस्थल संग्रहालय	लेखापरीक्षा के दौरान हमने जाना कि कई कार्यस्थल संग्रहालयों जैसे हजारद्वारी महल संग्रहालय (कोलकाता परिमण्डल), तामलुक संग्रहालय (कोलकाता परिमण्डल), रोपड़ संग्रहालय (चंडीगढ़ परिमण्डल), कूच बिहार भवन संग्रहालय (कोलकाता परिमण्डल), नागार्जुन कोण्डा संग्रहालय (हैदराबाद परिमण्डल), हम्पी संग्रहालय (बेंगलुरू परिमण्डल), नालंदा संग्रहालय (पटना परिमण्डल) ने पिछले पाँच वर्षों में भौतिक सत्यापन नहीं कराया था। वस्तुतः नागार्जुन कोण्डा संग्रहालय का अंतिम भौतिक सत्यापन सन् 1997 में हुआ था, नालंदा में सन् 1999 में और हम्पी संग्रहालय में सन् 2004 में हुआ था। इन संग्रहालयों से पुरावस्तुओं की चोरी के जोखिम को हमारे द्वारा इंकार नहीं किया जा सकता। केन्द्रीय पुरातात्विक संग्रह के भौतिक सत्यापन के लिए कोई तंत्र ही नहीं था।

अनुबंध 6.3
(पैरा 6.13.4 के संदर्भ में)

जयपुर परिमण्डल के उन स्मारकों की सूची जहाँ पुरावस्तुएँ बिखरी हुई थीं

क्र.सं.	स्मारक	स्थान	जिला
1.	चित्तौड़गढ़ का किला	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
2.	कुंभलगढ़ का किला	कुंभलगढ़	राजसमंद
3.	युपा स्तंभ	बादवा	बारण
4.	जोगनी-जोगना मंदिर	धौलपुर/सोने-का-गुर्जा	धौलपुर
5.	प्राचीन खण्डहर	दालसानगर (गंगाधर)	झालावाड़
6.	प्राचीन मंदिर, मूर्ति और शिलालेख	शारगढ़	बारण
7.	प्राचीन खण्डहर और संरचनात्मक अवशेष	कृष्णाविलास	बारण
8.	चंद्रभागा के पास स्थित है प्राचीन मंदिर	झालरापाटन	झालावाड़
9.	मंदिर, किला दीवार एवं मूर्तियाँ	दरा या मुकंदरा	कोटा
10.	शिव और कुंद का मंदिर	बादोली	चित्तौड़गढ़
11.	सास बहु मंदिर	नागदा	उदयपुर
12.	शिव मंदिर और खण्डहर	अरथूना	बांसवाड़ा
13.	किला, मंदौर	मंदौर	जोधपुर
14.	प्राचीन स्थल	लोद्रुवा पाटन	जैसलमेर
15.	काला पहाड़ मंदिर	टोडाराय सिंह	टोंक
16.	पीपा जी का मंदिर	टोडाराय सिंह	टोंक

अनुबंध 9.1
(संदर्भ पैरा 9.1.1)

स्मारकों पर अतिक्रमण का विवरण

परिमण्डलों के नाम	राज्य जहां स्मारक हैं	अतिक्रमण का शिकार हुए स्मारकों की संख्या	सरकारी विभाग द्वारा अतिक्रमण
आगरा	उत्तर प्रदेश	13	2
औरंगाबाद	महाराष्ट्र	17	1
बैंगलुरू	कर्नाटक	10	शून्य
भोपाल	मध्य प्रदेश	4	शून्य
भुवनेश्वर	ओड़िसा	15	1
चण्डीगढ़	पंजाब	15	5
चेन्नई	तमिलनाडू	30	शून्य
देहरादून	उत्तराखण्ड	1	1
दिल्ली	दिल्ली	21	2
धारवाड़	कर्नाटक	13	
गुवाहाटी	असम	5	3
हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	27	शून्य
जयपुर	राजस्थान	237	6
कोलकाता	प. बंगाल	6	शून्य
लखनऊ	उत्तर प्रदेश	66	7
मुम्बई	महाराष्ट्र	14	4
पटना	बिहार/उत्तर प्रदेश	17	1
रायपुर	छत्तीसगढ़	5	शून्य
श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	18	11
त्रिशूर	केरल/तमिलनाडू	2	1
वड़ोदरा	गुजरात	20	1
		546	**46**

अनुबंध 9.2

स्मारकों पर अनधिकृत निर्माण का विवरण

(संदर्भ पैरा 9.1.2)

परिमण्डल का नाम	राज्य जहां स्मारक है	अनधिकृत निर्माण की संख्या	सरकारी संस्था द्वारा
औरंगाबाद	महाराष्ट्र	633	36
बैंगलुरू	कर्नाटक	1343	-
भोपाल	मध्य प्रदेश	1550	-
चण्डीगढ़	पंजाब	612	-
देहरादून	उत्तराखण्ड	377	-
दिल्ली	दिल्ली	723	23
धारवाड़	कर्नाटक	358	-
गोवा	महाराष्ट्र	43	-
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	1123	11
जयपुर	राजस्थान	239	-
कोलकाता	प. बंगाल	76	-
लखनऊ	उत्तर प्रदेश	1290	-
मुम्बई	महाराष्ट्र	200	14
पटना	बिहार/उत्तर प्रदेश	343	-
रायपुर	छत्तीसगढ़	54	-
राँची	झारखण्ड	3	-
शिमला	हिमाचल प्रदेश	155	14
		9122	**98**

अनुबंध 9.3

(संदर्भ पैरा 9.3.1)

उन स्मारकों का विवरण जहाँ कोई सुरक्षा कार्मिक नियुक्त नहीं थे।

क्र.सं.	परिमण्डल का नाम	राज्य जहां स्मारक है	सुरक्षा कार्मिक नियुक्त नहीं थे।
1.	आगरा	उत्तर प्रदेश	55
2.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	3
3.	बंगलुरू	कर्नाटक	30
4.	भोपाल	मध्य प्रदेश	284
5.	भुवनेश्वर	ओड़िशा	4
6.	चण्डीगढ़	पंजाब	123
7.	चेन्नई	तमिलनाडू	158
8.	देहरादून	उत्तराखंड	1
9.	दिल्ली	दिल्ली	106
10.	धारवाड़	कर्नाटक	153
11.	गोवा	महाराष्ट्र	7
12.	गुवाहाटी	असम	47
13.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	118
14.	जयपुर	राजस्थान	3
15.	कोलकाता	प.बंगाल	35
16.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	80
17.	मुम्बई	महाराष्ट्र	6
18.	पटना	बिहार/उत्तर प्रदेश	180
19.	राँची	झारखण्ड	7
20.	रायपुर	छत्तीसगढ़	16
21.	श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर	39
22.	त्रिशुर	केरल/तमिलनाडू	13
कुल			**1468**

अनुबंध 10.1

(पैरा 10.2 एवं 10.3.1 के संदर्भ में)

स्मारकों पर जनसुविधाओं की उपलब्धता का विवरण

क्र.सं.	परिमण्डल का नाम	राज्य का नाम	स्मारकों की संख्या	पेयजल उपलब्धता	शौचालय की उपलब्धता	पहियेदार कुर्सी की उपलब्धता	रैंप की उपलब्धता	उचित सूचना पट्ट की उपलब्धता	स्मारकों पर सांस्कृतिक सूचना बोर्ड प्रदर्शित	शिकायत रजिस्टर की उपलब्धता
1.	आगरा	उत्तर प्रदेश	60	22	11	7	9	40	12	8
2.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	168	79	3	1	1	5	13	6
3.	बंगलुरू	कर्नाटक	208	78	20	10	3	209	181	शून्य
4.	भोपाल	मध्य प्रदेश	292	141	136	88	88	108	124	शून्य
5.	भुवनेश्वर	ओड़िशा	78	5	5	3	1	78	78	5
6.	चण्डीगढ	पंजाब	58	12	18	8	शून्य	15	17	शून्य
7.	चेन्नई	तमिलनाडू	104	12	18	11	1	26	14	2
8.	देहरादून	उत्तराखण्ड	30	15	22	3	3	3	नहीं	शून्य
9.	दिल्ली	दिल्ली	106	7	7	4	4	43	48	3
10.	धारवाड़	कर्नाटक	299	43	35	20	20	192	60	142
11.	गोवा	महाराष्ट्र	21	7	6	3	4	21	21	शून्य
12.	गुवाहाटी	असम	79	21	22	2	शून्य	65	44	4
13.	हैदराबाद	आंध्रप्रदेश	37	8	7	3	3	35	2	अनुपलब्ध
14.	जयपुर	राजस्थान	122						80	

क्र.सं.	परिमण्डल का नाम	राज्य का नाम	स्मारकों की संख्या	पेयजल उपलब्धता	शौचालय की उपलब्धता	पहियेदार कुर्सी की उपलब्धता	रैंप की उपलब्धता	उचित सूचना पट्ट की उपलब्धता	स्मारकों पर सांस्कृतिक सूचना बोर्ड प्रदर्शित	शिकायत रजिस्टर की उपलब्धता
15.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	136	77	36	10	2	115	106	नहीं
16.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	83	28	14				32	
17.	मुम्बई	महाराष्ट्र	24	27	11	1	1	11	11	6
18.	पटना	बिहार	182	13	18	5	शून्य	148	65	शून्य
19.	रायपुर	छत्तीसगढ़	47	25	8	4	1	40	2	8
20.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	40	23	5	1	शून्य	शून्य	35	शून्य
21.	श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर	38	15	16	1	2	8	28	शून्य
22.	त्रिशूर	केरल	36	19	10	14	10	36	32	9
23.	बड़ोदरा	गुजरात	213	3	3	15	15		148	
			2461	**680**	**431**	**214**	**168**	**1198**	**1153**	**193**

अनुबंध 10.2
(संदर्भ पैरा 10.3.3.1)

प्रकाशन सामग्रीजो अनप्रयुक्त रही

क्र.सं.	परिमण्डल	उन पुस्तकों की संख्या जो अनबिकी रहीं
1.	**राजस्थान**	45543
2.	**थानेश्वर, चण्डीगढ़**	10676
3.	**ओड़िशा**	54774
4.	**हैदराबाद**	87771
5.	**बंगलुरू**	21883
6.	**धारवाड़**	26963
7.	**कोलकाता**	50215
8.	**गुवाहाटी**	10303
	कुल	308128